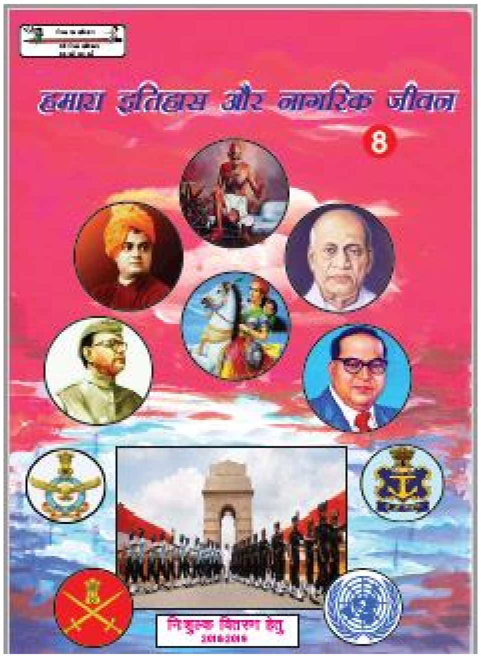

E-BOOKS DEVELOPED BY

- 1. Dr.Sanjay Sinha Director SCERT,U.P,Lucknow
- 2. Ajay Kumar Singh J.D.SSA,SCERT,Lucknow
- 3. AlpaNigam (H.T)Primary Model School,TilauliSardarnagar,Gorakhpur
- 4. Amit Sharma(A.T)U.P.S,Mahatwani ,Nawabganj, Unnao
- 5. Anita Vishwakarma (A.T)Primary School ,Saidpur,Pilibhit
- 6. Anubhav Yadav(A.T)P.S.Gulariya,Hilauli,Unnao
- 7. Anupam Choudhary(A.T)P.S,Naurangabad,Sahaswan,Budaun
- 8. Ashutosh Anand Awasthi(A.T)U.P.S,Miyanganj,Barabanki
- 9. Deepak Kushwaha(A.T)U.P.S,Gazaffarnagar,Hasanganz,unnao
- 10. Firoz Khan (A.T) P.S,Chidawak,Gulaothi,Bulandshahr
- 11. Gaurav Singh(A.T)U.P.S,FatehpurMathia,Haswa,Fatehpur
- 12. HritikVerma (A.T)P.S.Sangramkheda,Hilauli,Unnao
- 13. Maneesh Pratap Singh(A.T)P.S.Premnagar,Fatehpur
- 14. Nitin Kumar Pandey(A.T)P.S, Madhyanagar, Gilaula , Shravasti
- 15. Pranesh Bhushan Mishra(A.T) U.P.S,Patha,Mahroni Lalitpur
- 16. Prashant Chaudhary(A.T)P.S.Rawana,Jalilpur,Bijnor
- 17. Rajeev Kumar Sahu(A.T)U.P.S.Saraigokul, Dhanpatganz ,Sultanpur

- 18. Shashi Kumar(A.T)P.S.Lachchhikheda,Akohari, Hilauli,Unnao
- 19. Shivali Jaiswal(A.T)U.P.S,Dhaulri,Jani,Meerut
- 20. Varunesh Mishra(A.T)P.S.GulalpurPratappurKamaicha

पाठ-1

यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन

व्यापारिक मार्ग

प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से सम्पर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारम्भ किया जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थीं। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार, जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या तीन थी।

प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की,वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था

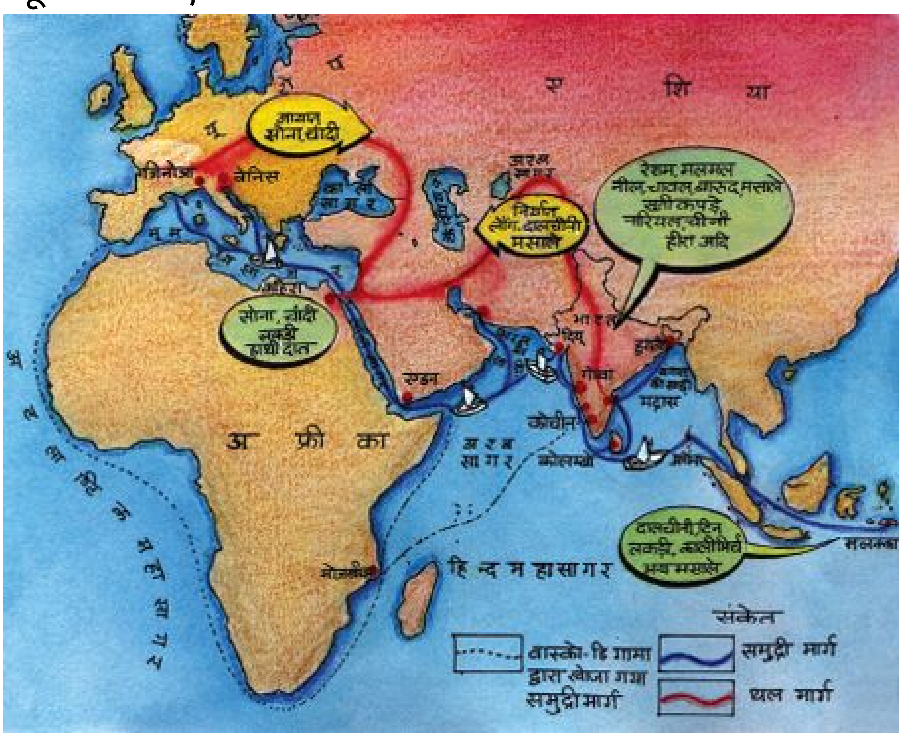

इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया।

पंद्रहवीं शताब्दी (1453 ई0) में कुस्तुनतुनियाँ पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनियाँ नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनियाँ नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा।

समुद्री मार्ग की खोज

अब यूरोपवासियों ने व्यापार के लिए नये समुद्री मार्ग की खोज करना आरम्भ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र सम्भावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाये।

धन- राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना- कीमती धातु सोना, चाँदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी।

धर्म-ईसाई धर्म का दूर-दराज इलाकों में प्रचार करना।

ध्वज- यूरोप के राष्ट्रों का झण्डा दूर-दूर के उपनिवेशों पर फहराए जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा।

कुतुबनुमा

यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया।

इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लम्बी समुद्री यात्राएँ कीं। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्कोडिगामा अपनी लम्बी जलयात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुँच गया। अब पुर्तगालियों को हिन्द महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरम्भ हो गए।

यूरोपीय व्यापार

पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना-चाँदी लाते और हमारे देश से सूती-रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिन्द महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्कोडिगामा के भारत पहुँचने के बाद एक-एक करके हालैण्ड, फ्रांस और इंग्लैण्ड के व्यापारी भारत आने लगे।

भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़

व्यापार के लिए धन, लम्बी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में (1600-1670ई0) के बीच व्यापारिक कम्पनियाँ स्थापित कीं। व्यापारिक कम्पनियों का अर्थ है- व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी (शेयर) होती थी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी-अपनी पूँजी लगाते थे। लगायी गयी पूँजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बाँट लेते थे। हालैण्ड में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी, इंग्लैण्ड में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनीं और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी। आज भी निजी कम्पनियाँ इसी प्रकार पूँजी इकट्ठा करती हैं।

व्यापारिक केन्द्र: फोर्ट विलियम, कोलकाता

भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आये। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीव में अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये। विदेशी कम्पनियों के इन व्यापारिक केन्द्रों को कोठी (फैक्ट्री) कहा जाता था।

फैक्ट्री (कोठी)- फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। 'फैक्टर' शब्द का अर्थ एजेन्ट है। कम्पनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी (एजेन्ट) जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिये भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन क़िलों की सुरक्षा के लिये यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे।

वास्कोडिगामा के भारत पहुँचने के बाद एक-एक करके हालैण्ड, इंग्लैण्ड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिन्दुस्तान के

तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं।

हालैण्ड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टम तथा चिनसूरा में व्यापारिक केन्द्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टम, पाण्डिचेरी, चन्द्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केन्द्र बनाये। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केन्द्र बनाये।

भारत में, यूरोप के सभी देशों के व्यापारी, पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेच कर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपटनम (मछलीपट्टम) जैसे बड़े बन्दरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है, वह महँगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गाँव-गाँव में अपना आदमी या एजेन्ट भेज कर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले।

समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर
अधिकार नहीं जम सका।

विदेशी कम्पनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दण्ड व भेद के तरीके अपनाये।
उन्होने बादशाहों व राजाओं के पास अपने-अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत माँगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र ‘फरमान’ जारी किए।
व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट माँगी।
इसके बदले में उन्होने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएँ भेंट कीं।
सर टॉमस रो ने जहाँगीर के दरबार की शान-शौकत देखी, तो उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सस्ती व खराब चीजें मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उसने सम्राट को अंग्रेजी

दस्ताने दिए और इंग्लैण्ड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहाँगीर प्रसन्न हुआ।

बग्घी

राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज्यादा व्यापार आकर्षित होगा, और राज्य खूब फलेगा-फूलेगा। इससे और अधिक कर मिलेगा।

हिन्दुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौ सेनाएँ ही कर सकती थीं और हिन्दुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी।

उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच के फैक्ट्रियों की सूची बनाओ।

अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते, ''व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिन्दुस्तानी जहाजों की सुरक्षा की गारण्टी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा।''

इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिन्दुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर (टैक्स) न देने की छूट मिली, जमीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बन्दरगाह बनाए और अपने-अपने किले भी बनाए।

और भी जानिए

यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि माँस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे माँस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके।

पुर्तगाल, इंग्लैण्ड, फ्रांस, हालैण्ड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किमी की दूरी पर हैं। इन सबके बावजूद भारत इनसे हारा।

जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, तोप एवं बंदूक आदि बनाए जा रहे थे उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे।

धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटलीवासियों का था। सत्रहवीं शताब्दी में लंदन तथा अमेस्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने।

आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गये हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभरकर आ रहे हैं।

घड़ी

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) अमेरिका की खोज की थी-

(क) कोलम्बस ने (ख) हॉकिन्स ने

(ग) वास्कोडिगामा ने (घ) सर टॉमस रो ने

(2) भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया-

(क) अंग्रेज (ख) पुर्तगाली

(ग) फ्रांसीसी (घ) डच

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न -

(1) किस यन्त्र के आविष्कार से लम्बी समुद्री यात्राएँ आसान हो गई ?

(2) वास्कोडिगामा किस देश का निवासी था ?

(3) मुगल बादशाह जहाँगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न -

(1) भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए ।

(2) व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

(1) पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे ? नये व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई ?

प्रोजेक्ट वर्क

5. निम्नलिखित सूची बनाइए-

(1) भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम।

(2) भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई।

(3) वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे।

6. संसार के मानचित्र में उन मार्गों को दिखाइए, जिसके द्वारा विदेशी भारत में व्यापार करने के लिए आए।

पाठ-2

भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना

अंग्रेज, फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे-

धीरे अपना राज्य बनाने की क्यों सोचने लगे ? सोचते-सोचते उन्होंने किस तरह भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया ? यह कैसे हुआ ? और कौन-कौन से तरीके अपनाए ? आइए इन्हें जानें-

18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर, प्रान्तीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल (बिहार व उड़ीसा), अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में, फ्रांस और इंग्लैण्ड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरन्तर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गये थे कि अपने-अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैण्ड और फ्रांस के राजा अपने-अपने देश की कम्पनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे।

उपनिवेश राज्य क्या हैं और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे जानें-

जब एक देश (जैसे-इंग्लैण्ड) के लोग किसी दूसरे देश (जैसे-भारत) पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य, दूसरे राज्य का सर्वेसर्वा मुख्य देश बन जाता है।

मुख्य देश, उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश (पहला देश) उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश (दूसरा देश) अवनति की ओर जाने लगता है।

भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया?

ीइंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के दौरान कारखाने लग गये थे। अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैण्ड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊँचे दाम में बेचना चाहता था जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहें।

ीवे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर-दूर बेचते थे जैसे- नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा।

ीउन्होंने व्यापार की ये सब चीजें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे, व जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे।

ीयह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह-जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रान्ति कहते हैं।

ईस्ट इंडिया कम्पनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाजों से इंग्लैण्ड के कारखानों में भेजती थी।

अंग्रेज इंग्लैण्ड के कारखानों से तैयार माल, जैसे- कपास से कपड़ा, चायपत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाजों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीजें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की, इससे व्यापार में तेजी आयी और उनका दिन-प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया।

लार्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीरजाफर से मिलते हुए

बच्चों, आपकी समझ से मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा ? पैसों को घर में रखना, बैंक में जमा करना, सोना-चाँदी खरीदना या उद्योग में लगाना और क्यों ?

भारत में भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी और फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लम्बे समय तक लड़ती रहीं। एक कम्पनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कम्पनियाँ अपने-अपने देश-इंग्लैण्ड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगीं।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ताकत बढ़ाने में लार्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डूप्ले ने फ्रांसीसी कम्पनी का नेतृत्व किया।

भारत के राज्य और विदेशी कम्पनियों की सेना

भारत के राजा और नवाब अपना-अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला

करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार सम्बन्धी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कम्पनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कम्पनियाँ इन झगड़ों में अपनी टाँगें अड़ाने लगीं। अगर कम्पनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था।

विदेशी कम्पनियाँ और भारतीय राजा

यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास (परेड और ड्रिल) के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कम्पनियाँ उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगीं।

राजा कम्पनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कम्पनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कम्पनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी।

उस इलाके के गाँव, शहरों से कम्पनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कम्पनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी।

ड्रिल करते हुए सैनिक

भारत में जमीन लेकर इन कम्पनियों ने अपनी-अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ई0 से 1763 ई0 के बीच तीन युद्ध लड़े गये, जिन्हें ”कर्नाटक युद्ध“ कहा जाता है अन्त में फ्रांसीसी, अंग्रेजों से परास्त हो गये और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे।

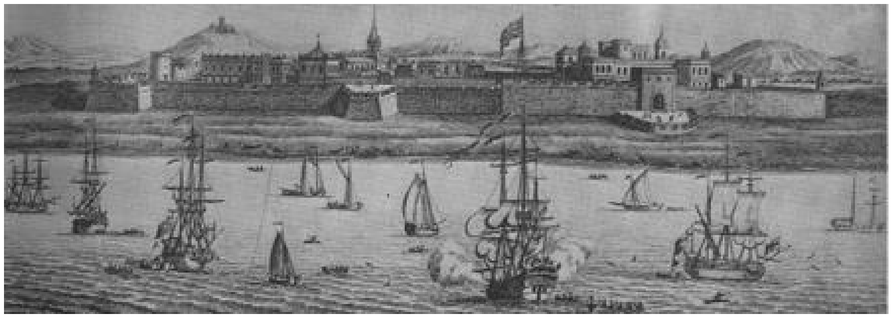

सेंट जार्ज फोर्ट, मद्रास

राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा

कम्पनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परन्तु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कम्पनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की।

अस्त्र-शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएँ रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएँ और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएँ। वे कम्पनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना

- कम्पनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कम्पनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कम्पनी तो धनवान हो रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे।
- कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे, जो कम्पनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कम्पनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे।
- कम्पनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी हो रही थी।
- कम्पनी कारीगरों से जोरजबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती।

जो इलाके कम्पनी को भेंट में मिले थे, उनके किसानों से भी हद से ज्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती।

जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटा कर वे ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते, जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए।

1756 ई. में अलीवर्दी खाँ की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता सँभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरम्भ कर दिया। इस समय यूरोपीय कम्पनियाँ शाही फरमान द्वारा दी गयी व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थीं। साथ ही कोलकाता (कलकत्ता) स्थित अपनी बस्तियों की किलेबन्दी भी करने लगीं थीं। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली, तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबन्ध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता (कलकत्ता) पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई (मद्रास) पहुँचा, तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता (कलकत्ता) पहुँचा। कोलकाता (कलकत्ता) पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि (9 फरवरी 1757 ई.) हो गयी। इस संधि के अनुसार कम्पनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिये व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

किन्तु क्लाइव इतने से सन्तुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साँठ-गाँठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीरजाफ़र स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीरजाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया।

इस षड्यन्त्र में रायदुर्लभ, जगतसेठ और अमीचन्द नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यन्त्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दण्डित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा।

प्लासी का युद्ध (1757 ई0)

जब नवाब को इसकी सूचना मिली, तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ई. में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएँ आमने सामने हुईं। नवाब ने अपने सेनापति मीरजाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किन्तु मीरजाफर निष्क्रिय खड़ा रहा

सिराजुद्दौला

इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यन्त्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़ कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गयी। अन्ततः नवाब को बन्दी बना लिया गया और मीरजाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीरजाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीरजाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीरजाफर महत्वाकांक्षी तो था, किन्तु वह स्वतन्त्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कम्पनी के एजेन्टों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी थी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया और वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अन्ततः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊबकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ई. में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीरकासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको कुछ जिले अंग्रेजों को देने पड़े।

मीरकासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किये। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिये उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किये। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबन्ध लगाने का साहस किया। अन्ततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीरकासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मंुगेर (आधुनिक बिहार में) स्थानान्तरित कर दी और उसकी किलेबन्दी आरम्भ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीरकासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीरजाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया।

मीरकासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आगबबूला हो गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाईयाँ लड़ीं, किन्तु वह पराजित हुआ। वह भाग कर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाहआलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबन्धन कर लिया।

बक्सर का युद्ध (1764 ई0)

उपर्युक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ई. में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परन्तु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीरकासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ।

अंग्रेजों ने एक बार फिर मीरजाफर को बंगाल का नवाब बना दिया।

प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया

बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीरकासिम की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहाँ प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिये।

इलाहाबाद की संधि (1765 ई0)

बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय के मध्य 'इलाहाबाद की सन्धि' (1765 ई0) में हुई। इस सन्धि की शर्तें निम्नलिखित थीं।

1.मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कम्पनी (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रान्तों से भू-राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए।

2.मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया।

3.कम्पनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर, मुगल बादशाह को दे दिये।

4.अवध का शेष भाग (इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर) अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया।

5.नवाब ने कम्पनी को 50 लाख रुपए युद्ध-हर्जाने के रूप में दिए।

6.मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब एवं क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा।

7.इसी प्रकार, मीरजाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गये। उसके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई। वे नाममात्र के शासक रह गये।

बंगाल में मीरजाफर फिर से नवाब बनाया गया। इसके बाद उसका पुत्र नाम मात्र का नवाब बना और उसकी भी पेंशन बाँध दी गई।

भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया।

अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण थीं ?

चुंगीकर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो।

व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कम्पनी का माल महँगा खरीदने, प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कम्पनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि।

बंदरगाहों के पास किलेबन्दी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाये हुए सोने-चाँदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना।

ब्रिटिश कम्पनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकण्डों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया, जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग करते रहे।

अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया। उन्हें राज-काज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराये जाने लगे।

इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक-एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे। अन्त में प्रमुख रूप से
अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया।

. शब्दावली

फरमान-मुगल बादशाह द्वारा दिये गये आदेशों को फरमान कहते हैं। इन पर शाही मोहर लगी होती थी।

दस्तक-भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कम्पनी को बिना कर दिए सामानों के आयात-निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कम्पनी को मिला था।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था-

(क) क्लाइव ने (ख) कार्टिभर ने

(ग) कैप्टन लाली ने (घ) हेक्टर मुनरो ने

(2) मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब-

(क) सिराजुद्दौला (ख) मीरजाफर

(ग) मीर कासिम (घ) नज्मुद्दौला

2. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न-

(1) ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था ?

(2) ईस्ट इण्डिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी ?

3. लघु उत्तरीय प्रश्न-

(1) प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था ?

(2) बक्सर के युद्ध का महत्त्व बताइए ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या-क्या चीजें महत्त्वपूर्ण थी ?

प्रोजेक्ट वर्क

अपने घर/गांव के बड़ों से यह पता कीजिए कि आपके जनपद एवं गांवों की स्थापना कब और कैसे हुई ?

पाठ-3

भारत में कम्पनी राज्य का विस्तार

जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते, वे अंग्रेजों की शरण में चले जाते, जो शासक अंग्रेजों से मदद माँगने के लिए जाते उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियायतें लेते। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गये।

अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में (1764 ई0 से 1856 ई0) भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे।

सोचिए और बताइए-ईस्ट इण्डिया कम्पनी, कैसे भारत व्यापार करने आई थी? कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य व अधिकार बढ़ा सकी ?

अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत जैसे- वेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपये वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कम्पनी राज्य में मिलाया।

हैदरअली

मैसूर

विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात् से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाये रखा था। अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारभ्भ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुँच गया। 1761 ई0 में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़, और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदरअली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यम्भावी था। अतः 1768-1792 ई. के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में निम्नलिखित तीन युद्ध हुए।

प्रथम मैसूर युद्ध (1768ई0-1769ई0)

हैदरअली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदरअली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किन्तु हैदरअली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात् उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। डेढ़ वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदरअली ने मद्रास (चेन्नई) को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ई. को हैदरअली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गयी। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया।

द्वितीय मैसूर युद्ध (1780-1784 ई.)

1771 ई. में मराठों ने हैदरअली पर आक्रमण कर दिया, परन्तु 1769 ई. में हैदरअली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदरअली की सहायता नहीं की। इससे हैदरअली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ई. में हैदरअली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदरअली से अलग कर दिया। हैदरअली ने इस स्थिति का सामना किया, परन्तु नवम्बर 1781 ई. में वह पराजित हुआ।1782 ई0 में हैदरअली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसम्बर 1782 ई. को हैदरअली की मृत्यु हो गयी। हैदरअली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व सँभाला। टीपू ने एक वर्ष तक

युद्ध जारी रखा। अन्त में दोनों पक्षों ने मार्च, 1784 ई. में संधि कर ली और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रान्त लौटा दिये।

टीपू सुल्तान

तृतीय मैसूर युद्ध (1790-1792ई.)

अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ई. में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जैकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया।

अंग्रेजी सेना वेल्लौर तथा अम्बूर से होती हुई बंगलौर तक पहुँच गयी, जिसे उसने मार्च 1791 ई. में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुँच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परन्तु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असम्भव है तो उसने 1792 ई. में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अन्तर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया।

1798 ई. में भारत में लार्ड वेलेजली आया जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लार्ड वेलेजली ने देशी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक सन्धि कही जाती है।

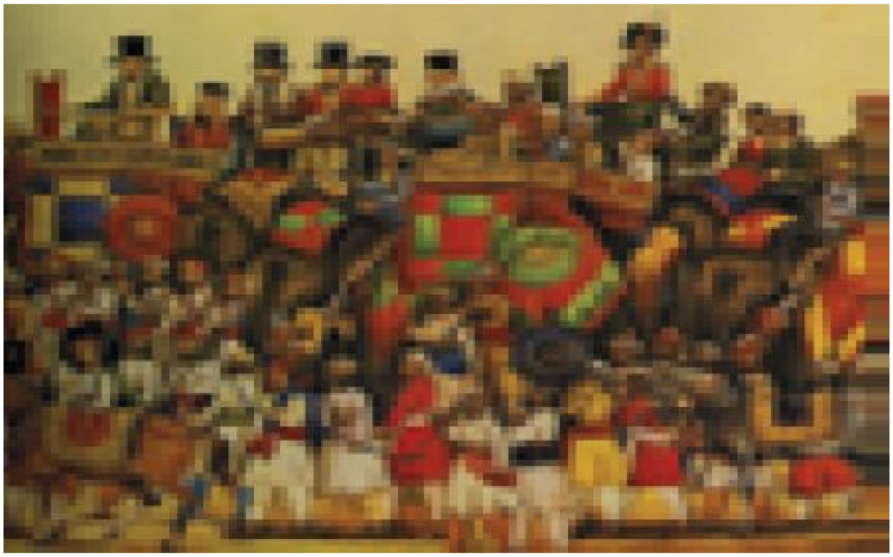

रेजीडेण्ट राज्य का भ्रमण करते हुए

सहायक संधि-

सहायक संधि के अन्तर्गत देशी राजाओं पर यह दबाब डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जायें और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आन्तरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा।

इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कम्पनी का आधिपत्य स्वीकार करना था।

इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी।

खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कम्पनी को देना पड़ता था।

कम्पनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था।

उन्हें अपनी राजधानी में कम्पनी सरकार का रेजीडेण्ट रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी रखता था।

इस नीति के अन्तर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया।वेलेजली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाये। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ

मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ई. में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरम्भ कर दिया। मई, 1799 ई. को अंग्रेजो ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया और मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया।दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेजली की सहायक संधि का निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि ”एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लम्बी जिंदगी जीना अच्छा नहीं।“ इसी उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया था।

मराठों से संघर्ष

मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केन्द्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ (जिसमें नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होल्कर तथा ग्वालियर के सिन्धिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था) ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था, परन्तु अफगान शासक अहमदशाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन् 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गयी।मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना (पुणे) पर केन्द्रित होने लगा और पेशवा (प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया।सन् 1772 ई0 में पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था परन्तु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गये और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फड़नवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया।रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता माँगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध (1775-82 ई0) हुआ जो 7 वर्षों तक चला किन्तु नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अन्त में सालबाई नामक स्थान पर सन् 1782 ई0 में दोनों पक्षों के बीच सन्धि हो गई। इसके

अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन् 1800 ई0 में फड़नवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मँडराने लगे।मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किन्तु नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद सिन्धिया, होल्कर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारम्भ हो गया।होल्कर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिन्धिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया जिसके परिणामस्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया।परन्तु भोंसले तथा सिन्धिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लार्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध (1803 ई0 की घोषणा कर दी जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियाँ करने के लिए विवश कर दिया जिसके अन्तर्गत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में अंग्रेज रेजीडेण्ट रखना स्वीकार कर लिया।

इसके पश्चात कम्पनी ने होल्कर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध (1804-1805 ई0 छेड़ दिया। जिसमें अंग्रेज असफल रहे। दोनों के बीच 1806 ई0 में संधि हो गई।

यद्यपि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिये संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजीडेण्ट तथा नागपुर स्थित रेजीडेन्सी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध (1817 ई0) नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गयी। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। सिन्धिया और होल्कर के अधीन राजपूताना राज्य भी अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गये। जो राज्य पूर्णतया अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे।

डलहौजी की विलय नीति

सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था उसी प्रकार लार्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनायी। इस नीति के अन्तर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि

भारत के जिन-जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक सन्तानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है किन्तु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी सन्तानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया

नाना साहब

इस नीति के अन्तर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, सघाट, सम्भलपुर तथा झाँसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनायी कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाय। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियाँ समाप्त कर दी गयीं।

अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखण्ड तथा पिण्डारियों से युद्ध

युद्ध, वर्ष	किनके बीच	युद्ध/विलय के कारण	परिणाम	संधि/प्रस्ताव
अवध (१८५६ ई०)	लार्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह	नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन तथा अकर्मण्यता का आरोप	अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।	☐ फैजाबाद संधि अंग्रेजों को सालाना साढ़े बाइस लाख रुपये कर के रूप में। ☐ नवाब कलकत्ता में नजरबंद, जीवन निर्वाह के लिए १२ लाख सालाना पेंशन दी गयी।
रुहेलखण्ड (१७७३ ई०)	अंग्रेज (अवध के नवाब से मिलकर) तथा रुहेला सरदार हाफिज रहमत खाँ	रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को रु० ४० लाख देने से मना कर देना।	हाफिज रहमतखाँ मारे गये। रुहेलखण्ड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना।	
बनारस (१७८० ई०)	वारेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह	अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग, मना करने पर चेतसिंह को ५० लाख रुपये का जुर्माना	दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया।	☐ चेतसिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। ☐ साढ़े बाईस लाख रुपये के वार्षिक कर को बढ़ाकर चालीस लाख कर दिया गया।
पिण्डारियों (लूटमार करने वाले लोग) से युद्ध (१८१६–१८१८ ई०)	वारेन हेस्टिंग्स तथा पिण्डारी के अमीरखाँ, करीमखाँ, वासिल मुहम्मद तथा चीतू	पिण्डारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर	बहुत से पिण्डारी मारे गये।	☐ अमीरखाँ ने अंग्रेजों की शरण ली उसे टोंकी की जागीर प्रदान कर दी गयी। ☐ करीमखाँ ने भी शरण ली उसे गोरखपुर जिले की जागीर मिली।

अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा (म्यांमार) से युद्ध

युद्ध, वर्ष	किनके बीच	युद्ध/विलय के कारण	परिणाम	संधि/प्रस्ताव
नेपाल युद्ध	वारेन हेस्टिंग्स तथा गोरखा वारेन हेस्टिंग्स	सन् १८१४ ई० में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार।	अंत में गोरखे पराजित हुए	* १८१६ ई० में सिगौली की संधि– अंग्रेजों को कुमायूँ, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों का मिलना। * गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना। * नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजीडेण्ट रहने लगा।
बर्मा का प्रथम युद्ध (१८२४–१८२६ ई०)	वारेन हेस्टिंग्स और बर्मा	बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगाँव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग	अंग्रेजों की विजय, पेगू पर अधिकार।	यान्डबू संधि सन् १८२६ – * अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरिम के प्रदेश प्राप्त हुए। * मणिपुर को स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया गया। * बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता।
बर्मा का द्वितीय युद्ध (१८५२ ई०)	अंग्रेज (डलहौजी) तथा बर्मा	अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन।	बर्मा पराजित हुआ	* मर्तबान और रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार। * बर्मा का सम्पूर्ण दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया।

अंग्रेजों का अफगान, सिन्ध तथा सिखों से युद्ध

युद्ध, वर्ष	किनके बीच	युद्ध/विलय के कारण	परिणाम	संधि/प्रस्ताव
अफगान युद्ध (१८२२ व १८४२ ई०)	अंग्रेज तथा अफगान	अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था।	अंग्रेज पराजित (१८२२ में) अफगान पराजित (१८४२ में)	• काबुल को लूट लिया गया। • नगर के विशाल भवनों को तोप से उड़ा दिया गया।
सिन्ध युद्ध (१८४३ ई०)	अंग्रेज और सिंध के शासक (अमीर)	अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर	सिंध के अमीर पराजित हुए	• सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।
प्रथम सिख युद्ध (१८४५ ई०)	अंग्रेज और सिख	सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया।	सिख सेना पराजित हुई (पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक अंग्रेजों से जा मिले थे)	• लाहौर में संधि करनी पड़ी। • जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों का दोआब अंग्रेजी राज्य में मिल गया। • युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को डेढ़ करोड़ रुपया देना पड़ा। • इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग बेचना पड़ा।
द्वितीय सिख युद्ध (१८४८ ई०)	अंग्रेज और सिख	अंग्रेजों द्वारा सिक्खों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार	सिख सेना पराजित हुई।	• अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया।

अंग्रेजों की सफलता के कारण

भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारक सहायक सिद्ध हुए।

□भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारम्भ हुई। बंगाल एक अत्यन्त उपजाऊ भू-भाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कम्पनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।

□अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे।

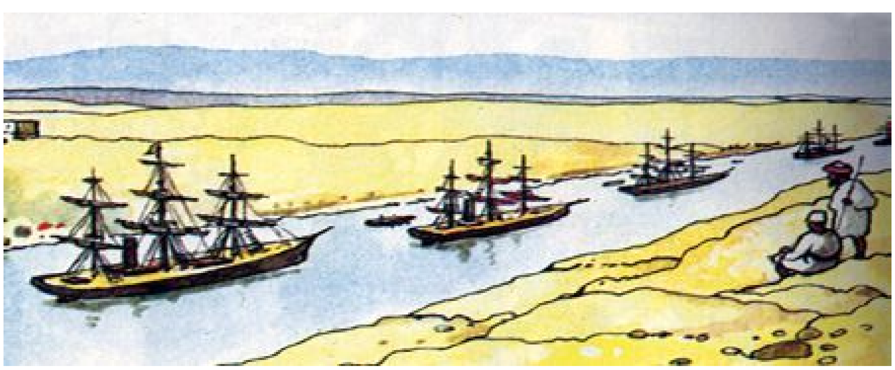

जहाजी बेड़ा

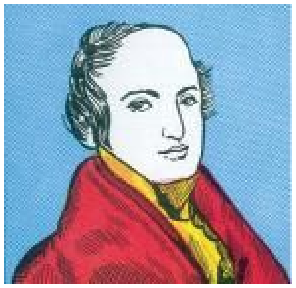

ब्रिटिश कालीन चाँदी का सिक्का जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी है, 1862

- उनके पास जहाजी बेड़ा था लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैण्ड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था।
- अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे जैसे- वेलेजली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने ”फूट डालो और राज करो“ की कूटनीति भी मनवाई।
- भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे।

दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे।

शब्दावली–

पिण्डारी– यह लुटेरों का एक दल, जिसमें हिन्दू एवं मुसलमान दोनों शामिल थे।

रेजीडेंट– सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) विलय नीति का सम्बन्ध है–

(क) नाना साहब से (ख) डलहौजी से

(ग) टीपू सुल्तान से (घ) हैदर अली से

2. पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया–

(क) अहमदशाह अब्दाली ने (ख) नादिरशाह ने

(ग) शाहशुजा ने (घ) जमाल खाँ ने

2. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ?

(2) टीपू सुल्तान ने श्री रंग पट्टन की संधि किस सन् में की?

3. लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए?

(2) सहायक संधि क्या थी?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

(1) डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति के क्या उद्देश्य थे?

प्रोजेक्ट वर्क

- तिथि क्रमानुसार दक्षिण भारत के उन युद्धों का चार्ट बनाइए जिसके द्वारा यहाँ अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ।

पाठ-4

E35BZP

भारत में कम्पनी राज्य का प्रभाव

अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ई0 से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ई0 की सौ वर्षों की लम्बी अवधि के दौरान भारत पर कम्पनी की पकड़ को बनाये रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा।

अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढाँचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके।

बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था

बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था चालू की। इस व्यवस्था में कम्पनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कम्पनी के पास अधिकार थे, परन्तु कोई दायित्व नहीं। जबकि नवाब के पास दायित्व थे, परन्तु अधिकार नहीं।

इसी दौरान 1769-70 ई0 में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। जनता को राहत पहुँचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैण्ड में कम्पनी की बहुत आलोचना हुई, परन्तु कम्पनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। सोचिए और बताइए- यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे ?कम्पनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफी धन कमा रहे थे। कम्पनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी माँग करने लगे कि कम्पनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदण्ड निश्चित किए जाएँ तथा कम्पनी के अधिकारियों से आय-व्यय का लेखा-जोखा लिया जाय। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कम्पनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कम्पनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउण्ड (ब्रिटिश मुद्रा) के ऋण की माँग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार माँग होने लगी कि कम्पनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देख-रेख, उनके लेखे-जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाय। साथ-साथ कम्पनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाय।ब्रिटेन के नये उद्योगपति, जो व्यापार पर कम्पनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कम्पनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट (धारा) बनाए गए-

भारत में वैधानिक विकास का प्रारम्भ

रेग्यूलेटिंग एक्ट - 1773 ई.

कम्पनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिये 1773 ई. में रेग्यूलेटिंग एक्ट बनाया गया। कम्पनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि (1) वे कम्पनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व सम्बन्धी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। (2) कम्पनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमायें इसके लिये यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैण्ड वापस लौटने पर अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। (3) इस एक्ट के अन्तर्गत बंगाल के गवर्नर को कम्पनी के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिये चार सदस्यों की एक परिषद् बनाई गयी। (4) न्याय-व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिये कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया।

पिट्स इण्डिया एक्ट- 1784 ई0

ब्रिटिश संसद ने 1784 ई. में एक नया कानून पारित किया जो 'पिट्स इण्डिया एक्ट' कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा (1) ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद् (बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल) की स्थापना हुई। इस परिषद् के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व सम्बन्धी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कम्पनी की स्थिति यथावत् रखी गई।

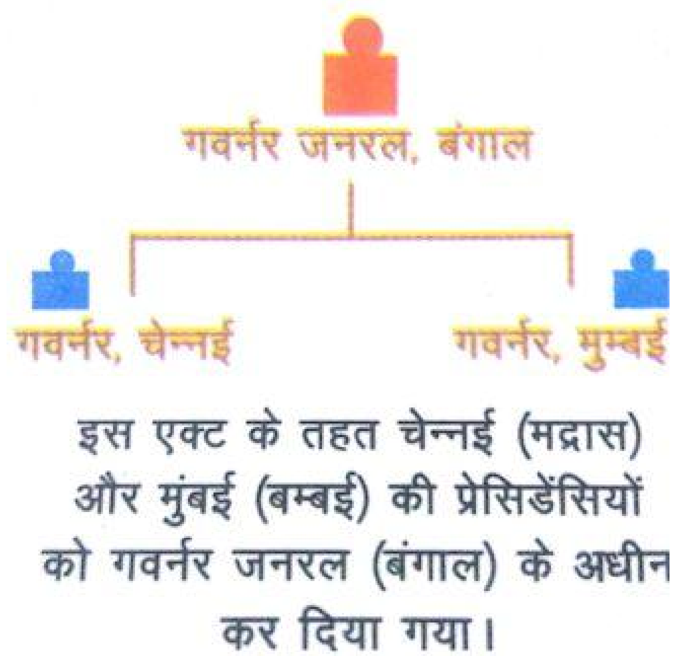

इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण किया गया जिसके आधार पर 1857 ई. तक भारत में कम्पनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पास किये जो

निम्नलिखित हैं-

एक्ट एवं वर्ष	अधिकार
चार्टर एक्ट (1793 ई0)	इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुम्बई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया।
चार्टर एक्ट (1813 ई0)	इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। □भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया। □गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कम्पनी के निदेशकों के पास ही बना रहा परन्तु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गयी।
चार्टर एक्ट (1833 ई0)	□इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। □ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। □गवर्नर जनरल को अपनी परिषद् की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। □मुम्बई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया।
चार्टर एक्ट (1853 ई0)	□इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद् में 6 सदस्य और बढ़ा दिये गये, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किये जाते थे। □परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कम्पनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया।

	कम्पनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की।

इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कम्पनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गये और धीरे-धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया।कम्पनी शासन के तीन मुख्य आधार थे- नागरिक सेवा (सिविल सर्विस), सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था।ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिये एक 'कलेक्टर', कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक 'पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट' (अधीक्षक) और न्याय व्यवस्था के लिये एक जज होता था।

मालूम कीजिए कि क्या आज भी भारत में यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू है ?

ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कम्पनी के शासकों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति-रिवाजों, विवाह आदि से सम्बन्धित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिये पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ई0 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुयी। उसके पश्चात् प्रान्तीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गयी। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किये जाने पर बल दिया गया किन्तु यूरोपियों और भारतीयों के लिये समान कानून नहीं थे, उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे।

अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के लिये अलग कानून न्याय की व्यवस्था क्यों की गई थी ? चर्चा कीजिए।

उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण

प्रशासन की जिम्मेदारियाँ बढ़ती गईं तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, भाषाओं तथा परम्पराओं से भली-भाँति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिये 1801 ई. में कलकत्ता (कोलकाता) में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की गई।

सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरम्भ की गई। उसकी परीक्षा इंग्लैण्ड में होती थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किन्तु 1863 में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा

1876 ई. में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया।

शिक्षा और सामाजिक सुधार

अंग्रेजों ने 1781 ई0 में कोलकाता मे एक मदरसा और 1792 ई0 में बनारस में एक संस्कृत कालेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने ''एशियाटिक सोसाइटी'' नामक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी कराना था। महान समाज-सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीय नये ज्ञान-विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की माँग की।

''हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जायेगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो।

चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है।''

कलकत्ता 11 दिसम्बर, 1823, राजा राम मोहन राय

उधर, अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लम्बे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई।फलतः सन् 1835 में सरकार ने लार्ड मैकॉले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की माँग बढ़ती गयी।

भूमि सुधार

अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये मालगुजारी (भूमिकर) वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गाँवों की मालगुजारी

वसूल करने के लिये किसी को ठेका दे दिया जाय और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाय। लार्ड कार्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किये-

1. स्थायी बंदोबस्त लागू

उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन (स्थायी रूप से) उस गाँव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बन्दोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गये किन्तु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने-बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रान्तों में प्रारम्भ की गयी।

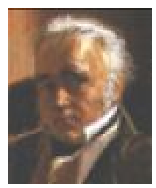

लार्ड मैकॉले

आज आपकी ज़मीन का लगान कौन वसूलता है ?

2. रैयतवाड़ी प्रथा

दक्षिण भारत के मद्रास प्रान्त में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत (काश्तकार) को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिये निश्चित कर दी गयी। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था।

3. महलवाड़ी प्रथा

उत्तरप्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आस - पास, मालगुजारी कई गाँवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी, ये समूह 'महल' कहलाते थे। इसलिये इस प्रथा को 'महलवाड़ी प्रथा' कहते हैं। सरकार 'महल' पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी।

भारतीय उद्योग धन्धों का विनाश

अंग्रेज भारत से कच्चा माल (सूत, कपास) ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैण्ड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए। इसी कारण भारतीय उद्योग-धन्धों का विनाश होने लगा।

इन्हें भी जानें

- किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को एक्ट या धारा कहते हैं।

शब्दावली

एक्ट या धारा- किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून ।

लगान- कृषि भूमि पर लगने वाला कर।

अभ्यास

1 बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) रेग्यूलेटिंग एक्ट बनाया गया-

(क) 1773 ई0 में (ख) 1784 ई0 में

(ग) 1857 ई0 में (घ) 1770 ई0 में

2. एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की-

(क) राजाराम मोहन राय ने (ख) विलियम जोन्स ने

(ग) क्लाइव ने (घ) लार्ड मैकॉले ने

2. अतिलघु उŸ◌ारीय प्रश्न-

(1) बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की ?

(2) फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी ?

(3) सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गर्वनर जनरल के समय में हुई ?

3. लघु उŸ◌ारीय प्रश्न-

(1) पिट्स इण्डिया एक्ट के बारे में लिखिए ?

(2) स्थायी बंदोबस्त क्या था ?

(3) अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए ?

प्रोजेक्ट वर्क

1. पता करिए-आपके क्षेत्र में कौन-कौन से ग्रामीण उद्योग-धंधे हैं ? उन उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है तथा उनमें बनने वाले सामानों की सूची बनाइए ।

पाठ-5

E3E82C

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम-कारण एवं परिणाम

लार्ड डलहौजी के बाद 1856 में लार्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर था। 1856 तक गवर्नर-जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल-बल, सैन्य-बल तथा अर्थ-बल पर टिका हुआ था, किन्तु 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं

और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व भी समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए:

संन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह।

सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह।

मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल, गौंड़ तथा मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह।

लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण तथा पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इनका दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रान्तिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन् 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनायी गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन् 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था।

सन् 1857 की क्रांति

लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुँची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया।

सन् 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे-

आर्थिक कारण-

ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति व भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी अर्थात् भारत (उपनिवेश राज्य), इंग्लैण्ड (विदेशी साम्राज्य) को आवश्यकतानुसार अपना कच्चा माल (कपास, नील) देता।

- इस कच्चे माल से मशीनों से ज्यादा व सस्ती वस्तुएँ बनाकर हमारे देशवासियों को ऊँचे मूल्य पर बेचते।
- ऊँची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ।
- भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गयी। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
- अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस-नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गयी और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गयी।
- अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान

- क्षुब्ध थे।
- सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए।
- शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन भी दिया जाता था।

बहादुरशाह जफर

राजनैतिक कारण-

यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 'जफर' के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ई. में कम्पनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया।

लार्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गये। उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था जिससे उनका 'विदेशीपन' एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इसी नीति के कारण सतारा, झाँसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बन्द कर दी थी जिससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गये।

डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गयी।

अंग्रेजों द्वारा जमीदारों तथा तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गयी जिसके कारण किसानों में असंतोष था।

ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेंचीदी और लम्बी प्रक्रिया वाली थी।

इसके अलावा भारतीय शासन में ऊँचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास व असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गये थे।

सामाजिक और धार्मिक कारण-

अंग्रेज, भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ-साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से, भारतीयों को तुच्छ समझते थे।

सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी।

अंग्रेजों द्वारा प्रारम्भ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार की चाल समझा।

ईसाई मिशनरी हिन्दू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिन्दू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे।

ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे।

सन् 1850 में कम्पनी ने एक कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक सम्पत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिन्दुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया।

सैन्य कारण-

सेना में भारतीयों के साथ भेद-भाव किया जाता था। उन्हें ऊँचे पदों पर नहीं रखा जाता था उनका वेतन एवं सुविधाएँ अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थीं।

झाँसी की रानी

अंग्रेजों ने नई रायफलों का प्रयोग किया जिनमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिन्दू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया।

तात्याँ टोपे

क्रांति की योजना

देश में ऐसी अशान्त परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गयी। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई तथा कुँवर सिंह आदि ने आरम्भ किया। इस आन्दोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झाँसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं तथा जमींदारों से सम्पर्क किया गया।

मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुँवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आन्दोलनकारियों द्वारा 'रोटी' तथा 'कमल के फूल' को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई, 1857 निश्चित की गयी।

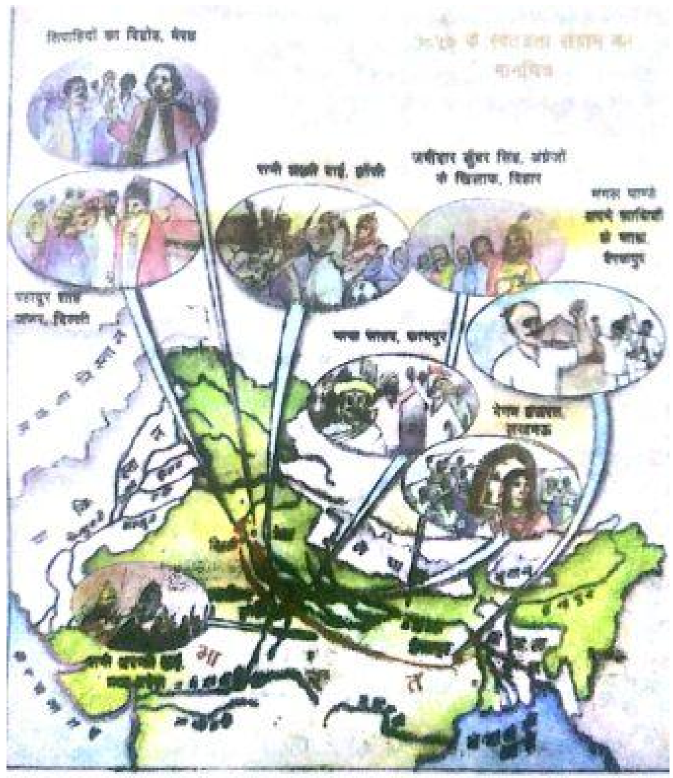

सन् १८५७ की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। इसके बाद यह किन–किन शहरों में फै
उन्हें ➝ चिह्न के आधार पर क्रमानुसार लिखिए। ....

क्रांति की प्रमुख घटनाएँ

बैरकपुर- लार्ड कैनिंग ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखा-

धड़ी की। 29 मार्च सन् 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पाण्डे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा यह खबर अपने आदमियों को भेज दी। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पाण्डे को फाँसी दे दी गयी।

मेरठ- 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दाँत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को दस वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गयी तथा मेरठ की गलियों में उन्हें हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया। अगली सुबह मेरठ वासियों ने जेल में धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया तथा कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला।

दिल्ली- इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लालकिले पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बहादुरशाह-द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। लेकिन चार माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुरशाह-द्वितीय की 1862 में रंगून (यंगून) में मृत्यु हो गयी। यह घटना मध्यभारत तथा रुहेलखण्ड में आग की तरह फैल गयी। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झाँसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए।

कानपुर- नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खाँ नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्म समर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे किन्तु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान सँभाली, किन्तु उनके आदमी ने उनके साथ विश्वासघात किया जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फाँसी दे दी गयी।

30 जुलाई, 1857, लखनऊ में विद्रोह

लखनऊ- अवध की राजधानी लखनऊ की क्रान्ति की बागडोर वाजिद अलीशाह की बेगम हजरत महल ने सँभाली। क्रांतिकारियों ने रेजीडेंसी का घेराव कर लिया। अन्त में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गयीं।

मध्यभारत- झाँसी में रानी लक्ष्मी बाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ीं किन्तु झाँसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गयीं। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गयीं।

रेजीडेंसी, लखनऊ

मध्यप्रदेश- रामगढ़ की रानी अवन्ती बाई ने विद्रोह का झण्डा खड़ा किया परन्तु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया।

बिहार- यहाँ स्थानीय जमींदार कुँवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा था।

इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 में आरम्भ हुआ परन्तु 1858 में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया।

क्रांति की असफलता के कारण-

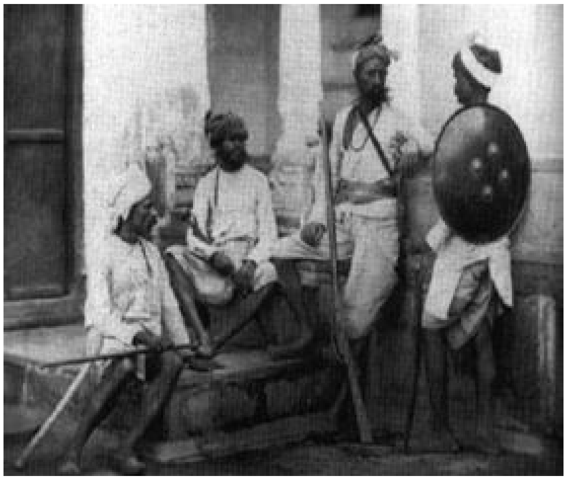

भारतीय सैनिक

यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी परन्तु फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके मुख्यतः निम्नलिखित कारण थे-

इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि

इन्दौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रान्तिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती।

क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुरशाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया।

अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया।

भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नयी रायफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला-बारूद की भी कमी थी।

क्रांति के परिणाम

1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अन्त कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारम्भ हुआ।

सन् सत्तावन के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतया दमन हो गया फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। दोबारा सन् सत्तावन जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 के अपने घोषणापत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई।

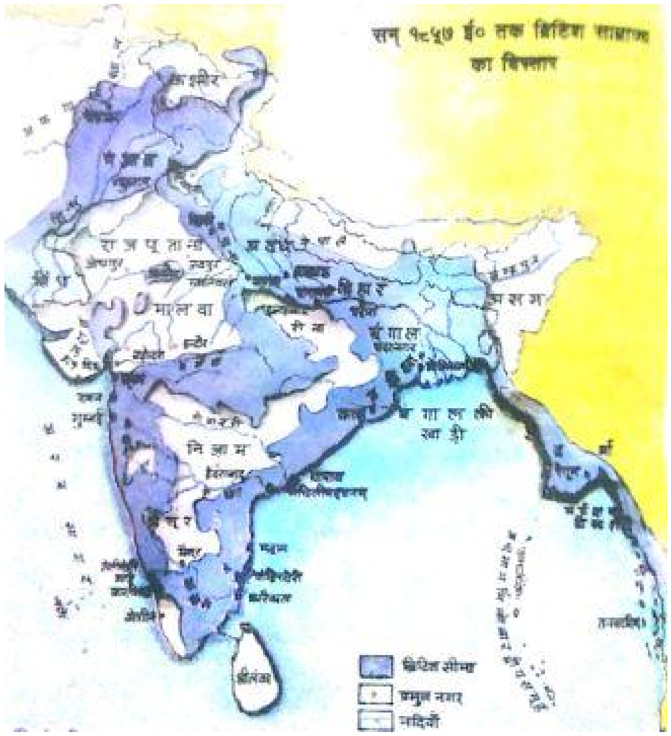

इस क्रान्ति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया।

और भी जानिए

1857 की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लम्बे इतिहास में किसी विदेशी ताकत (ब्रिटिश साम्राज्य) पर निर्भर हो गया।

इलाहाबाद के मिन्टो पार्क में 1 नवम्बर 1858 को लार्ड केनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया।

- शब्दावली -

दत्तक पुत्र- गोद लिया हुआ पुत्र

कच्चा माल - प्रकृति, खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएँ कच्चामाल कहलाती हैं। कारखाने में या यंत्र द्वारा जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह तैयार या निर्मित माल कहा जाता है।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) 1857 ई0 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई-

(क) 8 अप्रैल 1857 ई0 (ख) 31 मई 1857 ई0

(ग) 10 मई 1857 ई0 (घ) 1 जून 1857 ई0

(2) बहादुरशाह द्वितीय की मृत्यु हुई-

(क) रंगून में (ख) कानपुर में

(ग) झाँसी में (घ) लखनऊ में

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) 1835 ई0 में कम्पनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया ?

(2) सन् 1857 ई0 की क्रांति की शुरूआत कहाँ से हुई ?

(3) बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) 1857 ई0 की क्रांति के चार कारण लिखिए।

(2) 1857 ई0 की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए।

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) 1857 ई0 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए।

प्रोजेक्ट वर्क अपने बड़ों से पता करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक सूची बनाइए।

पाठ-6

ब्रिटिश राज के अधीन भारत

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप भारत में कम्पनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया।

महारानी विक्टोरिया

घोषणापत्र की कुछ खास बातें

□क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई।

□अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया।

□विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गईं।

□बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया।

□यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटा कर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसीडेन्सी में 1:2 तथा मद्रास (चेन्नई और बम्बई (मुम्बई प्रेसीडेन्सियों में 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया।

ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैण्ड में भारत के शासन की देख-रेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो ‘भारत मंत्री’ कहलाया वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गर्वनर जनरल, वायसराय कहलाने लगा क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की समिति भी बनायी गयी।

साथ ही राजपूत, मराठा एवं सिख प्रमुखों के साथ-साथ हैदराबाद के निज़ाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।

भू-राजस्व प्रबन्धन के क्षेत्र में तालुकेदारों व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गयी। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेन्ट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं।

ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा। यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के

अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों एवं सम्प्रदाय के आधार पर सैनिक इकाईयाँ बनायी गयीं जिससे उनमें भेदभाव बना रहे जैसे- बंगाल रेजीमेण्ट, राजपूत रेजीमेण्ट।

राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन

भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने ‘इण्डिया काउंसिल एक्ट से की।

1861 ई. के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल की काउंसिल (परिषद्) का नाम ‘इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल’ (प्उचमतपंस स्महपेसंजपअम ब्वनदबपस) कर दिया गया।

‘इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल’ के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इसका न तो वित्तीय नियंत्रण था और न ही प्रशासनिक। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी

विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। अतः कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। इसमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे। अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे।

इण्डिया काउंसिल एक्ट 1892 ई.

1861 ई. के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किये गये थे, उनसे भारतीय जनता सन्तुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की माँगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये 1892 ई. का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद् के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गयी। इसी कारण केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गयी। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद् के सदस्यों को शासन सम्बंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार-विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार शासन सम्बन्धी अधिकार भारतीयों को नाममात्र के लिए प्राप्त हुए।

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883-85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है।

सिविल सर्विसेज (लोकसेवा

घोषणा पत्र के तहत सन् 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम (इण्डियन सिविल सर्विस एक्ट) बनाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर आई.सी.एस. अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी

जा सकती थी। 1853 ई. तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी बाद में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दी गई जो 1876 ई. में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1863 ई. में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येन्द्रनाथ ठाकुर थे। ये रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किन्तु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिये इसमें सम्मलित होना लगभग असम्भव हो गया था। आज आई0सी0एस0 को आई0ए0एस0 (भारतीय प्रशासनिक सेवा) कहते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है।

अंग्रेज अधिकारी को पंखा करते हुए

इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे में सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे।

भारतीयों के दबाव में 1918 ई. में प्रशासकीय तथा लोक-सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ, फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे।

सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन

1857 ई. के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अन्तर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। 1857 ई. के पूर्व बंगाल, मद्रास (चेन्नई) तथा बम्बई (मुम्बई) प्रान्तों की अपनी अलग-अलग सेनाएँ थीं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। 1893 ई. में इनका एकीकरण किया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगुना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर

नियुक्त नहीं किए जाते थे। यह व्यवस्था 1914 ई. के प्रथम विश्वयुद्ध तक ऐसी ही बनी रही।

पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिये रखा गया। क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थीं।

न्यायिक संगठन

भारत में न्याय की परम्परागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। अनेक कानून शास्त्रों और शरियत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जायेगा न कि शासक की इच्छा के अनुसार।

अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल करती थी। जैसे यदि किसी ऊँची जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सजा किसी और जाति के व्यक्ति से भिन्न होती थी।

व्यवहारतः न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई थी और न्याय पाने में काफी विलम्ब होता था।

वित्तीय प्रशासन

सन् 1857 ई. के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। 1860 ई. में बजट की व्यवस्था शुरू की गयी। कुछ समय बाद केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के लिये सुरक्षित रखा गया। भू-राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच बाँटा गया। इससे मिलती-जुलती व्यवस्था आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिये स्टैम्प ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। 1892 ई. के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद् के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया।

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी

अंग्रेज शासकों, प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जायेंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें सम्पर्क भाषा प्राप्त हुयी। जिसके परिणामस्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्क में आये। लार्ड मैकॉले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका यह उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकॉले का यह अनुमान काफी सीमा तक सही निकला।

पाश्चात्य शिक्षा

कम्पनी का शासन प्रारम्भ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब एवं मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते थे। देश में परम्परागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी।

पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरम्भ करने में अधिक सफल रहे। निःसन्देह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कान्वेंट स्कूल खोले।

आधुनिक शिक्षा का प्रभाव

भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन के लिये चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये।

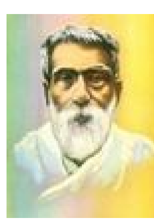

प्रफुल्लचन्द राय

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेन्द्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 ई0 में 'इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस' नामक संस्था की स्थापना की। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में 'इण्डियन साइंस कांग्रेस' की स्थापना की गई। साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों व कार्यों का आदान-प्रदान करते थे।

प्रफुल्लचंद राय, जगदीश चन्द्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की।

सी0वी0 रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने योगदानों से विज्ञान के विकास के द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से देश को एक नई गति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।

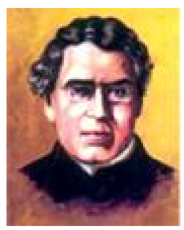

जगदीश चन्द्र बसु

सी0वी0रमन

जनसुविधाओं में वृद्धि

18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। किन्तु 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाये।

भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे। लेकिन वहीं तक जहाँ तक ब्रिटिश हितों को नुकसान न हो।

अतः उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइन स्थापित करायी जिससे आवागमन तेज हो सके व व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठण्डे प्रदेश के रहने वाले थे और उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी। अतः उन्होंने अपने व अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नये नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग बसाये।

अंग्रेजों ने भारत में नहर व कुओं का भी निर्माण किया जिससे ज्यादा से ज्यादा खेतों को सींचकर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू-राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो।

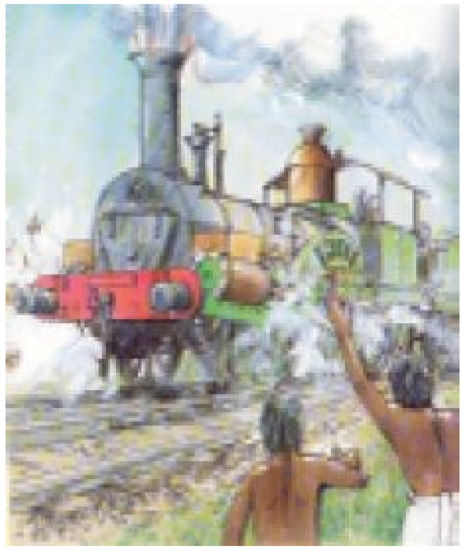

1853, पहली रेल यात्रा, बोरीवली से थाणे के बीच

इस समय यूरोप में नये चिन्तन का उदय हो रहा था। इस चिन्तन की अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जिसका अर्थ था कि केवल वही बात सही मानी जायेगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। इसी क्रम में कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति-रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना तथा भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निन्दा की।

उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गई थीं। जिसे भारतीय चिंतकों ने सुधार करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी सहयोग दिया। यद्यपि उनकी नीति धार्मिक मामलों तथा रीति-रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में

आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ।

अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों की संकुचित सोच को तोड़ा और उनमें नयी दुनिया की ललक और जिज्ञासा जागृत की। पढ़े-लिखे भारतीय समाज की बुराईयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। नयी सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वासों व कुरीतियों को तोड़ा। रेलगाड़ियों ने आवागमन को न केवल सरल व सुरक्षित बनाया अपितु यह छुआ-छूत व जाति प्रथा को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुई।

और भी जानिए

1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी।

शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ।

आज भी कई जगह, मुहल्ले कुछ अंग्रेजी प्रशासकों के नाम पर हैं जैसे- राबर्ट्सगंज, एलनगंज, जार्जटाउन।

. शब्दावली

नोबेल पुरस्कार-यह एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, समाजसेवकों आदि को दिया जाता है।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1)इण्डियन काउंसिल एक्ट पास किया गया-

(क) 1892 ई0 में (ख) 1861 ई0 में

(ग) 1883 ई0 में (घ) 1885 ई0 में

(2) पहली रेल बोरीवली से थाणे के बीच चली-

(क) 1851 ई0 में (ख) 1852 ई0 में

(ग) 1853 ई0 में (घ) 1854 ई0 में

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) सी0वी0 रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया ?

(2) 1835 ई0 में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी ?

(3) किस अधिनियम के द्वारा वाइसराय की परिषद् के सदस्यों की संख्या बारह से सोलह कर दी गई ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था ?

(2) महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए चार प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए।

प्रोजेक्ट वर्क

*पता कीजिए, वर्तमान में आपके जनपद में कौन से अधिकारी क्या कार्य करते हैं ? इसकी एक तालिका बनाइए।

पाठ-7

E3HZ5H

भारत में नवजागरण

धार्मिक एवं सामाजिक सुधार

अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभावों से भिन्न था। इस समय भारत का एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था अपितु जो अपने आपको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था।

18 वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिन्तन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप सभ्यता का अग्रणीय

महाद्वीप बन गया था। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था।

कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति जिनमें राजाराम मोहन राय एवं सर सैय्यद अहमद खाँ प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

तीसरा एक वर्ग और भी था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परम्परा से आधुनिक राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबन्द आन्दोलन प्रमुख थे।

अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने-अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियाँ थीं उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अन्ध विश्वास, कर्मकाण्ड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया गया।

धार्मिक सुधार आन्दोलन

इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुए। इस आन्दोलन ने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं। इसीलिए धर्म को सुधारे बिना समाज-सुधार सम्भव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का सम्बंध था। जैसे सती, विधवाओं को पुनर्विवाह पर निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण सम्भव नहीं हुआ। आइए कुछ समाज सुधारकों के योगदान को जानें-

महिलाओं के लिए नये कानून

राजा राम मोहन राय

राजा राम मोहन राय (१७७२–१८३३) ने वर्ष १८२८ में ब्रह्मसमाज की स्थापना की। इन्होंने समाज–सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, सती प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्तिपूजा तथा धर्म के कर्मकाण्डों में उनका विश्वास नहीं था। जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिन्दू कालेज, वेदांत कालेज की स्थापना की।

पंडित तर्कालंकार और राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे जबकि राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते थे।

तर्कालंकार ने कहा : "ऋषि अंगिरा ने कहा है कि जो औरत स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जल कर मर जाना चाहिए।"

राम मोहन : "पर, मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद औरत को [illegible] जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा औरत को सती होने के लिए नहीं कहा।"

पंडित तर्कालंकार : "यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परम्परा है। इसलिए सती तो होनी ही चाहिए।"

राम मोहन : "सती हमारे देश में हर समय व हर जगह ही होती आई है। फिर भी, यह [illegible] चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही है। क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे ? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं। वैसे ही सती प्रथा भी हत्या है– एक अमानवीय अपराध है अतः इसे बंद करना चाहिए।"

राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लार्ड बैंटिक ने १८२९ में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। १८५६ में यह कानून बना कि विधवा स्त्रियों की दुबारा शादी की जा सकती है। नवजात कन्या को मार देना भी गैर कानूनी बनाया गया। ये सभी कानून आज भी लागू हैं।

दयानन्द सरस्वती

दयानन्द सरस्वती नामक संन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन् १८७५ में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्तिपूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गये। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला।

महादेव रानाडे

महादेव गोविन्द रानाडे ने इसी प्रकार प्रार्थना समाज की स्थापना की। उन्होंने [illegible] के लिए शैक्षिक संस्थाएँ खोलीं।

राम कृष्ण परमहंस

रामकृष्ण परमहंस (१८३६–१८८६) का भी योगदान महत्वपूर्ण था। वे भी एक ईश्वर की उपासना में [illegible] तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे।

स्वामी विवेकानन्द

स्वामी विवेकानन्द (१८६३–१९०२) रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन् १८९७ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन् १८९३ में शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में हिन्दुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी प्रभाव के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि "मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है।" वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, समानता तथा स्वतंत्रता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक शोध को महत्व दिया।

मुस्लिम सुधार आन्दोलन

सर सैय्यद अहमद खाँ

सर सैय्यद अहमद खाँ (१८१७–१८९८) ने १८६४ में साइंटिफिक सोसाइटी (विज्ञान समिति) की स्थापना की। वे पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहु विवाह, [illegible] के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में ऐंग्लो ओरिएण्टल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ।

दादाभाई नौरोजी

पारसी सुधार आन्दोलन

दादाभाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था।

दलित जातियों के सुधार आन्दोलन

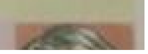

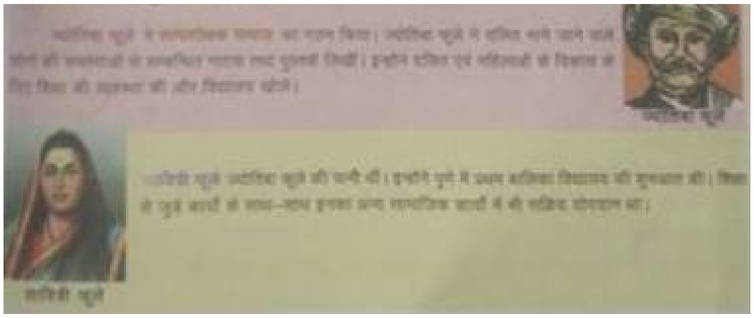

शब्दावली

नव जागरण - धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परम्पराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) ब्रहम समाज की स्थापना की-

(क) स्वामी विवेकानंद ने (ख) राजा राम मोहन राय ने

(ग) दयानंद सरस्वती ने (घ) महादेव गोविंद रानाडे ने

(2) लार्ड बैंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया-

(क) 1829 ई0 में (ख) 1856 ई0 में

(ग) 1817 ई0 में (घ) 1818 ई0 में

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न

(क) दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया ?

(ख) ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न

(क) स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए ?

(ख) सावित्री फूले कौन थी ? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए।

(ग) नवजागरण से क्या तात्पर्य है ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(क) धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए। उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए।

प्रोजेक्ट वर्क

1. अपने क्षेत्र के धर्म एवं समाज सुधारकों के नाम तथा उनके द्वारा किये जा रहे सुधारों को पता करके लिखिए।

पाठ-8

E46V7A

भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास

आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी।

राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण

भारत की राजनीतिक एकता

अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएँ, एक से कानूनों ने भारत को एक से साँचे में ढालना आरम्भ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद, अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया।

तीव्र परिवहन

वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएँ, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएँ बनीं। पक्के मार्गों का एक जाल बिछ गया। इससे प्रान्त एक दूसरे से तथा गाँव बड़े-बड़े नगरों से जुड़ गए। देश को एकता में बाँधने वाला सबसे बड़ा साधन रेल थी।

डाक तथा संचार व्यवस्था

1850 के उपरान्त आरम्भ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की।

अन्तर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों तथा पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाकखानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। सन्देशों के

शीघ्रातिशीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। आधुनिक संचार साधनों से भारत के भिन्न-भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से सम्बन्ध बनाए रखने में सहायता मिली जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला।

नए बुद्धिजीवी वर्ग

नए बुद्धिजीवी लोग प्रायः कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इत्यादि थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैण्ड में भी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वहाँ इन राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखी थी। यहाँ लौटने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दासता ही दासता है।

अंग्रेजी पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन् 1833 के चार्टर एक्ट तथा रानी विक्टोरिया की सन् 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊँचे-ऊँचे पदों के द्वार भारतीयों के लिए बन्द ही थे। यही लोग, नवोदित राजनीतिक असन्तोष का केन्द्र बिन्दु बने तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया।

अंग्रेजी भाषा

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन है। विभिन्न भाषा-भाषायी क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक सम्पर्क भाषा की भूमिका का निर्वाहन किया जिससे कश्मीर से दक्षिणी धुरव तक सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सकें।

प्रेस तथा साहित्य की भूमिका

प्रेस द्वारा भारतीयों ने देश-भक्ति की भावनाओं का, आधुनिक आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचारपत्र निकले। उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी, भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था, लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम करने को कहा जाता था, तथा जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगीकरण आदि के विचारों को लोकप्रिय बनाया जाता था।

अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ

भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता का दंभ था। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे और उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे हों।

आर्थिक शोषण

अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इंग्लैण्ड औद्योगिक क्रान्ति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए एक मण्डी चाहिए थी।

भारत की सभी आर्थिक नीतियाँ- कृषि, उद्योग, वित्त, शुल्क, विदेशी पूँजी निवेशन, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि- अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गईं। जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव होता था, तो बलि सदैव भारतीय हितों की होती थी। इस व्यवस्था का दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक में उल्लेख किया है।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग आरम्भ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं-

- 1885-1919 के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट तथा संदिग्ध थे। यह आन्दोलन केवल शिक्षित मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरणा लेता था।

- 1919-1947 के अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए महात्मा गाँधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग- अहिंसात्मक असहयोग, अपनाकर आन्दोलन किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलेन ओक्टेवियन ह्यूम (ए0ओ0 ह्यूम) नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। वे उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादाभाई नौरोजी, काशीनाथ, फीरोजशाह मेहता, एस0 सुब्रह्मण्य अय्यर, पी0 आनन्द गोपाल गणेश आगरकर और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे। उमेशचन्द्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।

ए.ओ. ह्यूम

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, मुम्बई (1885)

1.देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना।
2.भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना।
3.राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना।

कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियाँ अपनानी चाहिए- इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे।

कांग्रेस की दो विचारधाराएँ

नरम दल-

कांग्रेस के वे नेता जो शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे, उदारवादी कहलाये। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की माँग को शासन तक पहुँचाया जाए तो वे धीरे-धीरे एक-एक करके हमारी माँगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानन्द सिन्हा आदि प्रमुख थे।

गरम दल-

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में ंराष्ट्रीय आन्दोलन में एक नयी विचारधारा का उदय हुआ।

बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चन्द्र पाल गरम विचार धारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय-विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मान्यता

थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी माँगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने ''स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे हम लेकर रहेंगे'' का नारा देकर जनता में देश-प्रेम की भावना भर दी। बंकिमचन्द्र चटर्जी के गीत 'वन्दे मातरम्' ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश-प्रेम की भावना जगाई।

> नरम दल व गरम दल की भावनाओं, विचारों और तरीकों में आपको क्या अन्तर दिखाई देते हैं ?

बंग-भंग आन्दोलन

तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव को कम करने के लिये तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 ई0 में दो भागों में विभाजित कर दिया। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया, परन्तु वास्तविक कारण हिन्दू व मुसलमान लोगों में फूट डालना था। इसी बीच 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की तथा हिन्दुओं ने भी 1906 ई0 में हिन्दू महासभा का गठन करके बंगाल प्रेसीडेन्सी (प्रांत) को दो हिस्सों में बाँट दिया - एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिन्दू अधिक थे और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न स्थानों पर सभाएँ व आन्दोलन किये गये। नरम दल और गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आन्दोलन को नेतृत्व दिया।

cfg"dkj vkSj Lons'kh vkUnksyu

बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन

बंग-भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाए अपने बल पर स्वराज्य हासिल करने की भावना से दो तरह के कार्यक्रम बनाए-

1.बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार।

2.दूसरा, स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीजों का ही उपयोग। भारतीयों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते, ”हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल, कालेज खोलेंगे, गाँव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएँ दूर करेंगे। हम अपनी-अपनी पंचायत व कचेहरी चलाएँगे। हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे।

लोग यह क्यों सोचते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी कार्यक्रमों से देश को स्वराज्य मिल पाएगा- चर्चा कीजिए।

लार्ड कर्जन

क्रान्तिकारी आन्दोलन

ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सशस्त्र क्रान्ति का मार्ग अपनाया। क्रान्तिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में क्रान्तिकारी आन्दोलन ने गति प्राप्त कर ली। इनका विश्वास था कि क्रान्ति से ही देश को आजाद कराया जा सकता है। क्रान्तिकारियों ने बंगाल में ‘अनुशीलन समिति’ की स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविन्द घोष प्रमुख क्रान्तिकारी थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों की भी इस प्रकार के आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए क्रान्तिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया गया। बंगाल के ‘संध्या’ और ‘युगान्तर’ तथा महाराष्ट्र का ‘काल’ प्रमुख समाचार पत्र थे।

मार्ले-मिण्टो सुधार (1909)

1909 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सन्तुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई, किन्तु इससे भारतीयों में असन्तोष कम नहीं हुआ।

सन् 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आये तब उन्होंने ‘बंग भंग’ को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ की राजधानी भी बना दिया। लेकिन इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए।

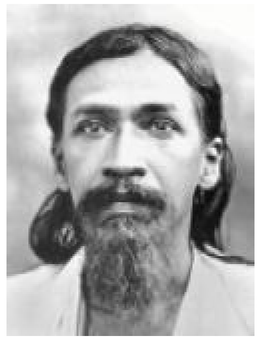

अरविन्द घोष

गदर पार्टी

युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। भारत के बाहर अमरीका और कनाडा में बसे भारतीय देशभक्तों ने 1913 ई0 में गदरपार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। इस दल के अन्य प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी बोस, राजा महेन्द्र प्रताप, बरकत उल्लाह, उबैद उल्लाह सिन्धी, भगवान सिंह तथा सोहना सिंह भरवना अधिक सक्रिय थे। गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र ‘गदर’ नाम से प्रकाशित होता था। उसके मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था ‘अंग्रेजी राज का दुश्मन’।

रासबिहारी बोस

होमरुल आन्दोलन

सन् 1914 ई0 में प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ हो गया। इंग्लैण्ड ने युद्ध में लड़ने के लिये भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों

रुपये भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किये। युद्धकाल में भारत के कुछ राष्ट्रीय नेता इंग्लैण्ड की मदद करने के पक्ष में थे। वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले में इंग्लैण्ड की सरकार भारत को स्वशासन की दिशा में कुछ सुविधाएँ घोषित करेगी। कुछ भारतीय नेता युद्ध के दौरान इंग्लैण्ड पर दबाव डालना चाहते थे जिससे स्वशासन के विषय में जल्दी घोषणा कर दी जाय। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बन्द होने के बाद कांग्रेस की माँगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी। किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए।

लाला हरदयाल

1916 ई0 आते-आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेन्ट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 'होमरुल आन्दोलन' प्रारम्भ किया।

और भी जानिए

- सन् 1895 और 1905 में एक छोटे एशियाई देश, जापान ने बड़े देश चीन और पश्चिमी देश रूस को युद्ध में हराया था। इन देशों की हार ने यह बता दिया कि सिर्फ बड़े देशों तथा पश्चिमी देशों का शक्ति में एकाधिकार नहीं है। उनकी इस हार ने गरम दल की सोच को काफी प्रभावित किया।

- सन् 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसमें इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली, रूस और जापान देश थे। अमरीका भी बाद में इंग्लैण्ड और उसके पक्ष वाले देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया।

कठिन शब्दावली

अधिपत्य-किसी के द्वारा किया जाने वाला शासन।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ-

(क) 1885 में (ख) 1880 में

(ग) 1886 में (घ) 1890 में

(2) 'वंदे मातरम्' गीत के रचयिता-

(क) बाल गंगाधर तिलक (ख) बंकिमचन्द्र चटर्जी

(ग) लाला लाजपत राय (घ) गोपाल कृष्ण गोखले

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न

(1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही ?

(2) "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे हम लेकर रहेंगे।" किसका कथन है?

(3) भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन् में हुई।

3. लघु उŸारीय प्रश्न

(1) कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए ?

(2) कांगे्रस की दो विचारधाराएं कौन सी थीं ? उनके बारे में लिखिए ?

(3) होमरूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई ? स्पष्ट करिए।

प्रोजेक्ट वर्क

1. कांग्रेस के नरम एवं गरम दल के नेताओं की सूची बनाइए। इनमें से आप किस दल के नेताओं के विचारों से सहमत हैं ? और क्यों ?

पाठ-9

E4FR8X

स्वाधीनता आन्दोलन स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन

इन दिनों महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ भी अंग्रेज, गैर-अंग्रेजों से भेदभाव बरतते थे।

गाँधीजी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा, जब वह रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे। गाँधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट था फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया इसलिए क्योंकि वह श्वेत नहीं थे।

वहाँ भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया। अन्त में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था। सन् 1915 ई0 में महात्मा गाँधी भारत लौट आए।

गाँधी जी का नेतृत्व (1919-1935)

प्रथम विश्वयुद्ध के समय महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की।

गाँधी जी ने सोचा कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रान्तिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च, 1919 ई. में रोलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अन्तर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गाँधी जी ने फरवरी 1919 ई. में इसके विरोध में सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

अहिंसा और सत्याग्रह

स्वराज्य के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गाँधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था

कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर-जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए यानी सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

गाँधीजी ने सत्याग्रह करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए-

महात्मा गांधी

- अन्याय करने वाले का सहयोग न करना यानी असहयोग करना।
- अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना यानी अवज्ञा करना।

गाँधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा।

जब गाँधी जी राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हुए तो उस आन्दोलन में एक नया मोड़ आया। गाँधी जी लोगों की छोटी-छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आन्दोलन छेड़ते थे। वह अंग्रेज सरकार से माँग करते थे कि लगान कम करें, नमक पर कर हटाएँ, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएँ, शराब की बिक्री बंद करें (शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी)। गाँधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आन्दोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में नहीं उतरे थे।

गाँधीजी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आन्दोलन में शामिल हो सकें।

एक बार गाँधीजी, दक्षिण अफ्रीका में रेलयात्रा कर रहे थे। वे उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि "एक काला भारतीय, उनके डिब्बे में यात्रा कैसे कर सकता है।" यह उनका सरासर अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि गोरे लोगों में उनके आत्म सम्मान और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था इसलिए उन्होंने गाँधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया। इस कटु अनुभव ने गाँधी जी को भारतीयों की गरिमा के उत्थान और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा दी।

उन्हांने महसूस किया कि भारत में भी लोग आपस में ही जाति-मजहब, ऊँच-नीच, सवर्ण-दलित, भाषा सम्प्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बटे हुए हैं। इसलिए ये गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सभी धर्मों एवं सम्प्रदाओं के लोगों को राष्ट्रवाद एवं भाई-चारे की लड़ी में पिरोकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी गाँधीजी के इसी प्रयास के बदौलत ही आज हमारा यह देश भारत आजाद हो सका है।

जलियाँवाला काँड 1919

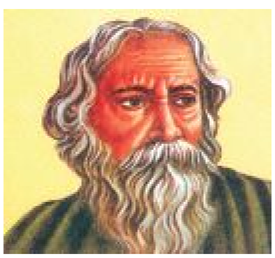

रवीन्द्र नाथ टैगोर

इसी समय अमृतसर में 13 अप्रैल, 1919 ई. को एक भयानक हत्याकाण्ड हुआ। पंजाब के नेता डॉ0 सत्यपाल और डॉ0 सैफउद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमाण्डर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गयी और हजारों लोग घायल हुए।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड से समस्त देश में हाहाकार मच गया। इसके विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी "सर" की उपाधि वापस कर दी। इसने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन-राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर

दिया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सम्मिलित हुए। अब राष्ट्रीय आन्दोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया। इसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफी बल मिला।

असहयोग आन्दोलन 1920-1922

ऐसी विकट स्थिति में गाँधीजी ने देश भर में असहयोग आन्दोलन शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आन्दोलन था। इसका उद्देश्य था, अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना।

आइए इस आन्दोलन के दौरान घटित होने वाली कुछ गतिविधियों की झलकियाँ देखें-

1.”अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएँ। हम क्यों उनका शासन संभालें ?“ यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया।

2.अनेकों छात्रों ने सरकारी स्कूल-कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे।

3.अंग्रेजी कपड़े व शराब की दुकानों पर धरने दिये गये। अंग्रेजी चीजों के बहिष्कार के साथ-साथ स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश भी हुई।

4.देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी।

5.कई जगह परिषद् के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले

अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करते भारतीय

6.गाँधीजी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत कातने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर-घर में देश को आत्म-निर्भर बनाने की भावना मजबूत बनी।

7.छोटे-बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियाँ बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी न उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके

पीछे दूसरा जत्था ‘इंकलाब जिन्दाबाद’, ‘चरखा चला-चला के हम स्वराज्य लेंगे’ और ‘महात्मा गाँधी की जय’ के नारे लगाते हुए आता और शान्तिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शान्ति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करके करते।

8.1921 में इंग्लैण्ड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया- लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुम्बई (बम्बई) शहर में उस दिन हड़ताल रही।

दूर-दराज के इलाकों में, गाँव-गाँव में गाँधीजी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों में भी यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज राज्य खत्म हो जाएगा और ”गाँधीजी का स्वराज्य“ का स्वप्न पूरा हो जाएगा।

इस तरह देश भर में उथल-पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी।

चौरी-चौरा काण्ड

इसी समय उत्तर प्रदेश में चौरी-चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी।

इस घटना से गाँधी जी को काफी दुःख हुआ और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आन्दोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाये गये तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गाँधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसमें हाथ से कताई-बुनाई, छुआ-छूत का निवारण एवं साम्प्रदायिक एकता की स्थापना आदि थे।

गाँधी जी ने चौरी-चौरा काण्ड के बाद असहयोग आन्दोलन वापस क्यों लिया ?

इस प्रकार जब असहयोग आन्दोलन ठण्डा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गाँधी जी 10 मार्च, 1922 ई0 को कैद कर लिये गये और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आन्दोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गये।

सशस्त्र क्रान्तिकारियों का योगदान

राम प्रसाद बिस्मिल

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान क्रान्तिकारी आन्दोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया। बहुत से नेता जेल भेज दिये गये और शेष इधर-उधर बिखर गये। 1920 ई0 के प्रारम्भ में क्रान्तिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन छेड़ दिया। क्रान्तिकारी सशस्त्र क्रान्ति का रास्ता छोड़कर असहयोग आन्दोलन में शामिल हो गये, किन्तु असहयोग आन्दोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रान्तिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रान्तिकारियों ने पुनः अपना क्रान्तिकारी संगठन बनाना प्रारम्भ कर दिया। इसके नेता पुराने क्रान्तिकारी सचिन्द्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चन्द्र चटर्जी थे।

भगत सिंह

अशफाक उल्ला खाँ

काकोरी काण्ड

अक्टूबर 1924 ई0 में क्रान्तिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और ''हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन'' का गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था। अतः इन क्रान्तिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ई0 को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वे पकड़े गये। इस लूटकाण्ड में पं0 रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खाँ को फाँसी दी गयी। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अण्डमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लम्बी सजाएँ सुनायी गयीं। चन्द्र शेखर आजाद फरार हो गये।

लाला लाजपत राय

लाहौर काण्ड

भगत सिंह और राजगुरु ने दिसम्बर 1928 ई0 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुँचाने वाले पुलिस व्यक्तियों का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी साण्डर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ई0 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केन्द्रीय विधान सभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ। दोनों वहाँ से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर साण्डर्स हत्याकाण्ड से सम्बन्धित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 ई0 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फाँसी की सजा सुनाई गयी।

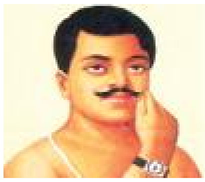

चन्द्र शेखर आजाद

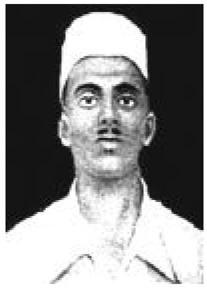

सुखदेव

लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 ई0 को फाँसी दे दी गयी। यह मुकदमा ”लाहौर काण्ड“ के नाम से प्रसिद्ध है।

सत्ता के दमन ने धीरे-धीरे क्रान्तिकारी आन्दोलन को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी, 1931 ई0 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चन्द्रशेखर आजाद शहीद हो गये। वर्तमान में एल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क है। आजाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रान्तिकारी आन्दोलन लगभग समाप्त सा हो गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1930-1932

साइमन कमीशन-

1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन के नियम बनाने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बैठाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ-जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुईं और ”साइमन वापस जाओ“ का नारा जोरों से गूँजा।

साइमन कमीशन में भारत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था।

लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की माँग

1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पं0जवाहर लाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसम्बर, 1929 की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसम्बर, 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झण्डा फहराया और पूर्ण स्वराज्य की माँग का प्रस्ताव पारित किया।

डाँडी यात्रा

1930 ई0 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का अधिकार दे दिया गया था। अतः गाँधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। गाँधीजी ने 1930 ई0 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आह्वान किया। 12 मार्च, 1930 ई0 को गाँधीजी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ डाँडी की ओर यात्रा प्रारम्भ की। गाँधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया।

इस सविनय अवज्ञा आन्दोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष स्वयं सेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं-कहीं किसानों ने लगान देना बन्द कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री-पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आन्दोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई, 1930 ई0 को सरकार ने गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास (चेन्नई), कलकत्ता (कोलकाता) और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए।

महात्मा गाँधी की डाँडी यात्रा

पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमान्त

गाँधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किये गये कार्यों के कारण अहिंसक क्रान्तिकारियों के वीर जत्थे अर्थात् खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग ”लालकुर्ती“ के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबन्द शाखा की राजनीतिक संस्था जमाअत-उल-उल्मा-ए- हिन्द ने इस आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

इस बीच 1930 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया।

गाँधी-इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन

प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लंदन, सन् 1930

5 मार्च, 1931 ई0 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गाँधी-इरविन समझौता कहते है। गाँधीजी ने सितम्बर 1931 ई0 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गाँधीजी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गाँधीजी ने पुनः 1932 ई0 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया। सरकार ने गाँधीजी को बन्दी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी। इससे गाँधीजी को

आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। अंततः डॉ0 अम्बेडकर और गाँधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ, जिसे ”पूना पैक्ट“ कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमण्डलों में स्थान सुरक्षित कर दिये गये। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ई0 में गाँधीजी ने अपना आन्दोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गये।

और भी जानिए

महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

अरुणा आसफ अली ‘नमक कानून तोड़ो आन्दोलन’, ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ में भाग लेते हुए कई बार जेल गयीं।

दुर्गाभाभी ने भगतसिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया।

कमला देवी चटोपाध्याय ने सन् 1921 में ‘असहयोग आन्दोलन’ में भाग लिया।

भीकाजी कामा का कहना था, ”आगे बढ़ो, हम हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का है।“ इन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झण्डा फहराया।

भीकाजी कामा

अभ्यास

(1) प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ-

(क) सन् 1931 ई0 में (ख) सन् 1930 ई0 में

(ग) सन् 1934 ई0 में (घ) सन् 1929 ई0 में

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन् में शुरू किया ?

(2) 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी ?

(3) 5 मार्च, 1931 ई0 को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) डाँडी यात्रा किसने और क्यों की थी ?

(2) होमरूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था ?

(3) रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अपनी ‘सर‘ की उपाधि क्यों वापस कर दी ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए ?

5. प्रोजेक्ट कार्य

1. जिन महापुरुषों ने शांति और अहिंसा के सन्देश दिए, उनके नाम, पता करके लिखिए क्या आपके विचार से उनके द्वारा अपनाया गया अहिंसा का रास्ता सही था। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते और क्यों ?

पाठ-10

E4PHAK

अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश

अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया कि भविष्य में आन्दोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिये सन् 1935 ई0 का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत-

- केन्द्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रान्तों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई।
- इस संघ में भारत के प्रान्तों तथा देशी रियासतों (रजवाड़ों) को शामिल किया गया।
- यह भी व्यवस्था की गई कि केन्द्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे।
- केन्द्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गये।

शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, चूँकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई।

सितम्बर 1939 ई0 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता नहीं देना चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किये भारत को युद्ध में शामिल किये जाने के विरोध में, अक्टूबर 1939 ई0 में सभी कांग्रेस मंत्रि मण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940

विनोबा भावे	सरदार पटेल	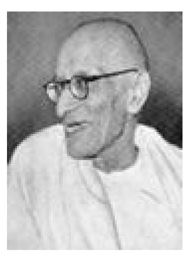 सी 0 राजगोपालाचारी

कांग्रेस मंत्रि मण्डल के त्यागपत्र देने के पश्चात् गाँधी जी ने पुनः आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अन्य सत्याग्रहियों में

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पं0 जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुँचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था 'युद्ध में सहायता न करना'। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की। किन्तु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजांे से स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और इस दिशा में अब अधिक विलम्ब सहन नहीं होगा।

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन

बम्बई (मुम्बई) में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को 'करो या मरो' की भावना से आन्दोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गाँधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आन्दोलन शुरू हो गया। बड़े - बड़े शहरों में जुलूस निकाले गये और हड़तालें हुईं। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया।

सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गये। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गये। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे-जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, भारत छोड़ो आन्दोलन से जुड़ते गए। महिलाओं ने भी इस आन्दोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया।

कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झण्डा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियाँ दीं। छात्र विद्यालय छोड़कर आन्दोलन में कूद पड़े। जगह-जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से सम्बन्धित परचे लिखने तथा बाँटने में लग गये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आन्दोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पाण्डेय के नेतृत्व में आन्दोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह तथा क्रान्ति फैल गई।

सरकार ने अपनी सारी शक्ति आन्दोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए तथा बन्दी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध

में गाँधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गाँधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। गाँधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया

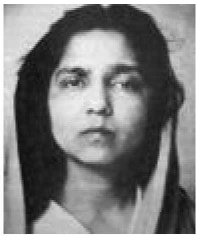

अरुणा आसफ अली

क्रान्तिकारी गतिविधियाँ

ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहाँ एक ओर श्री जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रान्तिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गये। उन्होंने निर्भय होकर देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएँ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे नवयुवकों में हेमू कालाणी भी एक हैं।

हेमू ने 23 अक्टूबर सन् 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फाँसी दे दी गई। इस समय उसकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी।

भूमिगत गतिविधियाँ

इस बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढाँचा भी तैयार हो गया था। इस आन्दोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राममनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आर0पी0 गोयनका आदि ने सँभाली। भूमिगत कार्यवाहियों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी परन्तु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आन्दोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था।

आजाद हिन्द फौज का संघर्ष

आजाद हिन्द फौज का नाम आते ही सुभाष चन्द्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो आता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चन्द्र बोस ने फारवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप सरकार ने उन्हें बन्दी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ तो दिया गया लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। जनवरी 1943 को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुँचे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी द्वारा बन्दी बनाए गये 50 हजार सैनिक स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए।

उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झाँसी रेजीमेण्ट के नाम से बनाया गया। आजाद हिन्द फौज के सिपाही सुभाष चन्द्र बोस को 'नेता जी' कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को 'जय हिन्द' और 'दिल्ली चलो' के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 को आजाद हिन्द रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गाँधी जी को सम्बोधित करते हुए कहा- 'भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ चाहते हैं।' सुभाष चन्द्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा 'तुम मुझे खून दो', मैं तुम्हे आजादी दूँगा'।

आजाद हिन्द फौज ने रंगून (यंगून) से दिल्ली के लिए कूच किया। आजाद हिन्द फौज बर्मा (म्याँमार) तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध 1944 में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आजाद हिन्द फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्म समर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया।

सैनिकों का विद्रोह

1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह-जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे।

ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैण्ड में जो मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई।

जब सन् 1945 ई0 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े-बड़े देशों द्वारा दिए गये आश्वासनों की पूर्ति करने की माँग जोर पकड़ने लगी। अमरीका और रूस अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि यह युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे।

कैबिनेट मिशन और अन्तरिम सरकार

जुलाई 1942 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री क्लीमेन्ट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार - विमर्श करने के लिये अपने मन्त्रि मण्डल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति भारत भेजी। इस समिति को 'कैबिनेट मिशन' कहते हैं। भारतीय नेताओं से विचार - विमर्श के बाद दो मुख्य निर्णय लिये गये-

□भारत में एक अन्तरिम सरकार गठित की जाये जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो।

ीभारत का नया संविधान बनाने के लिये एक संविधान सभा गठित की जाय। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अन्तरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियाँ शुरू कर दी गईं।

1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम

लार्ड माउन्टबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूँकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग पर अड़ी रही और भारत में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे होते रहे। अतः भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग राज्य बनाने का अन्तिम रूप से निर्णय किया गया। इंग्लैण्ड की पार्लियामेन्ट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का 'भारतीय स्वाधीनता अधिनियम' कहते हैं।

इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जायेगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी।

इस प्रकार भारत की स्वतत्रंता का मार्ग खुल गया। लार्ड माउन्टबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधान मंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक

संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा।

भारत का विभाजन

स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया, वैसे हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी लोग अपने-अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालत में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने माँग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, चूँकि भारत में उन पर हिन्दुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की माँग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आन्दोलन छेड़ा। जगह-जगह हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे।

अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिन्दू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। पर अनेकों हिन्दू-मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन दिनों हिन्दू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे व एक-दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैलाई गईं। गाँधीजी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने-बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, ”मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगा पर यह नहीं होने दूँगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिएँ। उन्हें आत्म-सम्मान के साथ चलना है।“

7 जून, 1947, भारत-पाक विभाजन स्वीकार किया गया। नेहरू (बाएँ), माउंट बेटेन (बीच में), जिन्ना (दाएँ)

वे इस सिद्धान्त पर अडिग थे कि भारत में हिन्दू और मुसलमान, के लिए बराबर जगह है। यह बात हिन्दू सम्प्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिन्दू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गाँधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी।

शब्दावली - प्रभुसत्ता - पूर्ण अधिकार, पूर्ण सत्ता , रियासत - मिलकियत, हुकूमत ।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ-

(क) 1945 ई0 में (ख) 1947 ई0 में

(ग) 1946 ई0 में (घ) 1942 ई0 में

(2) फारवर्ड ब्लॉक का संबंध है-

(क) राम मनोहर लोहिया (ख) जय प्रकाश नारायण

(ग) अरूणा आसफ अली (घ) सुभाष चन्द्र बोस

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे ?

(2) 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, यह कथन किसका है ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए ? किन्हीं तीन कारणों को लिखिए।

(2) कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) 1935 ई0 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई ?

प्रोजेक्ट वर्क- आजकल होने वाली हड़तालों एवं चक्का जाम के द्वारा लोग किस प्रकार की माँगों को मनवाना चाहते हैं ? आप इन समस्याओं के हल के लिए कौन सा तरीका अपनाएगें।

पाठ-11

E4YICB

स्वतन्त्र भारत की चुनौतियाँ एवं विकास

गर्वनर जनरल लार्ड माउन्ट बेटेन जवाहर लाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा "रात को बारह बजे जब पूरा विश्व सो रहा है, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है।" भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका था, किन्तु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएँ व चुनौतियाँ थीं।

(अ)स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएँ

1.शरणार्थियों की समस्या

देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75 हजार हिन्दू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या।

निदान- भारत सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान एवं भूमि दी गयी।

2.देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या

जब हम आजाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थी। यदि रियासतें भारत में न मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बँट जाता और गृह युद्ध हो जाता।

निदान- उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री व केन्द्रीय गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझ-बूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला लीं। इसी सूझ-बूझ के कारण इन्हें लौहपुरुष कहा जाता है।

3.पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण

स्वतन्त्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोल कर एक-तिहाई भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की।

निदान- भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का एक तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी अनाधिकृत कब्जा है।

4.आर्थिक समस्या

स्वतन्त्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश के गेहूँ और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से हो गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। गेहूँ विदेश से आयात किया जाता था।

निदान- सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकारों को भूमि दी गई। आज हमारे देश में खाद्यान्न दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है।

(ब)स्वराज्य की चुनौतियाँ ?

भीमराव अम्बेडकर

1.संविधान का निर्माण

15 अगस्त सन् 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था हो गई थी। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था।

निदान- भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 में बनकर तैयार हो गया जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। इसके लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र देश हो गया। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।

2.विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या

देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन, द्वीव तथा दादरा नगर हवेली में पुर्तगालियों का तथा पाण्डिचेरी, चन्द्रनगर, माही और कारिकल पर फ्रांस का कब्जा था।

निदान- फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 ई. को पाण्डिचेरी, चन्द्रनगर, माही और कारिकल तो सौंप दिये। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्यवाही करने पर 20 सितम्बर 1961 को गोवा, दमन, द्वीव व दादरा नगर और हवेली सौंप दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के समस्त भू-भाग भारत के अंग बन गए।

3.विकास की योजनाएँ

स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्याएँ गम्भीर थीं।

निदान- सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीकों से विकास के लिए पंचवर्षीय (पाँच वर्षो) योजनाओं को प्रारम्भ किया। 1 अप्रैल सन् 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गयी। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन् 2012 से चालू हो गई है। इन योजनाओं के कारण सभी क्षेत्रों में देश का क्रमिक विकास होने लगा है। आज हमारे देश में उत्पादन वृद्धि, जनता के मध्य समान वितरण तथा जनसंख्या संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) भारत स्वतंत्र हुआ-

(क) 14 अगस्त, 1947 ई0 को (ख) 15 अगस्त, 1947 ई0 को

(ग) 26 जनवरी, 1947 ई0 को (घ) 26 जनवरी, 1950 ई0 को

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई-

(क) 1 अप्रैल, 1951 ई0 में (ख) 11 अप्रैल, 1952 ई0 में

(ग) 11 अप्रैल, 1951 ई0 में (घ) 15 दिसम्बर 1952 ई0 में

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) जब हम आजाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थीं ?

(2) लौह पुरुष किसे कहा जाता है ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई ?

(2) शरणार्थियों को समस्या क्या थी ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन-कौन सी तत्कालीन समस्याएं थीं ? इनका समाधान किस प्रकार से किया गया ?

प्रोजेक्ट वर्क

1. संविधान निर्माण में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की सूची बनाइए।

2. वर्तमान भारत की क्या-क्या समस्याएं हैं ? आप उनके निदान हेतु क्या तरीके अपनाएगें ?

महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं तिथियाँ (1885-1948)

1885ए0ओ0ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बम्बई (मुम्बई) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
1896-97भीषण अकाल
1904भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित
1905बंगाल का विभाजन लागू हुआ
1912दिल्ली राजधानी बनाई गई
1913गाँधी जी का अफ्रीका में सत्याग्रह
19144 अगस्त को प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ
1915श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा होमरुल लीग की स्थापना
1916बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ
1919 6 अप्रैल को रोलट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान
13 अप्रैल को जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड
माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित
1920 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना
गाँधी जी का प्रथम असहयोग आन्दोलन
1922 5 फरवरी चौरी-चौरा काण्ड तथा महात्मा गाँधी द्वारा आन्दोलन वापस लेना
1927 साइमन आयोग की नियुक्ति
1929 □शारदा एक्ट-हिन्दू महिलाओं तथा युवकों के 14 तथा 18 वर्ष से कम आयु में विवाह निषिद्ध
□8 अप्रैल को भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का विधानसभा में बम फेंकना
□31 अक्टूबर को लार्ड इरविन की भारत स्वशासन के विषय में घोषणा
□31 दिसम्बर: कांग्रेस का स्वतंत्रता लेने का निश्चय करना
1930 14 फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रस्ताव पारित करना
12 मार्च: गाँधी जी का नमक कानून तोड़ना तथा डाँडी यात्रा
1931 गाँधी-इरविन समझौता
1932 साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा तथा गाँधी जी द्वारा किए गए व्रत द्वारा संशोधन
1935 भारत सरकार अधिनियम पारित
1937 नए चुनाव तथा नवीन प्रान्तीय सरकारें

1939 अक्टूबर में वायसराय की घोषणा, भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना, अन्तिम अंग्रेजी उद्देश्य, द्वितीय विश्वयुद्ध, कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दिए।
1940 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव।
कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन (अक्टूबर से दिसम्बर तक)
1942 कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव तथा आन्दोलन
1943 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस टोकियो (जापान) पहुँचे तथा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन एवं आजाद हिन्द फौज बनाई
1945 मई-जून: यूरोप में युद्ध समाप्त
1946 □18 फरवरी: बम्बई (मुम्बई) में नौसेना का विद्रोह
□1 जुलाई: संविधान सभा के चुनाव
□2 सितम्बर: जवाहर लाल नेहरू अन्तरिम सरकार के प्रधानमंत्री
1947 20 फरवरी: ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा
3 जून: लार्ड माउन्टबेटेन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को राजसत्ता दे देने की घोषणा
जुलाई: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित
15 अगस्त: भारत स्वतंत्र
1948 30 जनवरी: महात्मा गाँधी की हत्या

नागरिक शास्त्र

पाठ-1

E58EDV

हमारा लोकतंत्र

हर शाम गाँव की चौपाल लगती है। अस्सी साल की काकी स्वतन्त्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गाँव की प्रधान हैं। आज भी चौपाल बैठी है। चलो देखें, वहाँ क्या हो रहा है ?

काकी - ”देखो, अब हमारा देश आजाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाकर उनका निदान करवा सकूँ।“

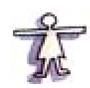

जिला स्तर

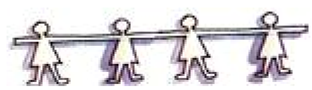

ब्लॉक स्तर

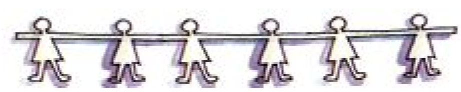

गाँव स्तर

संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई है। इससे लोकतंत्रीय व्यवस्था गाँव स्तर तक पहुँच गई है।

“काकी, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी। हमारा उन पर क्या अधिकार है ?“ हरिया ने कहा।

”अरे हरिया, यह कोई राजाओं का जमाना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है।“

”लोकतंत्र?“ रामवती ने पूछा, ”काकी यह लोकतंत्र क्या है ?“

”लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें। बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों

एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग) अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते हैं। इसके लिये बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है।" लोकतंत्र में कानून का पालन होता है, किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का नहीं।

"तो काकी, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया ?" हरिया ने पुनः पूछा।

"हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी।" काकी ने कहा। "इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आजादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि इस आजादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी।"

"पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें 'लोकतंत्र' स्थापित करने की प्रेरणा मिली क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है।"

लिखो- राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अन्तर है ?..

"आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊँचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है।"

"पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है ?" शबनम ने पूछा।

”शबनम, हमारे संविधान में भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है और इस संविधान में लोकतंत्र के उन आधार स्तम्भों की चर्चा की गई है जो लोकतंत्र के लिये जरूरी हैं।

”काकी, ये आधार स्तम्भ क्या है ? कृपया इसके विषय में बताइए।“ राजन ने पूछा।

”ठीक है तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्तम्भ है- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।“

”भारतीय संविधान के तहत् भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार, लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन (चुनाव) लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिये भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की व्यवस्था की है।“

मालूम है, भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में एक संसदीय चुनाव कराने में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च होती है।

स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए खतरा है-

रिश्वतखोरी, डराना-धमकाना, पररूपधारण

”चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए चुनाव आयोग, चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएँ। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है।

लिखिए - ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे चुनावों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को खतरा हो सकता है?

....
....
....

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

यह एक डिब्बेनुमा मशीन है जिसमें एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम एवं चिह्न छपे होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के नाम एवं चिह्न के सामने एक नीले रंग का बटन होता है जिसको दबाने से हम अपनी इच्छानुसार किसी भी दल को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है। अतः इस प्रकार सिर्फ एक ही दल के पक्ष में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है।

मतदान करते नागरिक

हमारे यहाँ कई तरह के चुनाव होते हैं। आप किन चुनावों के बारे में जानते हैं, लिखिए

....
....
....
....

''काकी'', रामरतन ने पूछा, ''लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं ?''

''अरे रामरतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते परन्तु दूसरों से मिलकर यह सम्भव हो सकता है। यही काम राजनैतिक दल करते हैं। राजनैतिक दल, राजनैतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनैतिक दल अपने-अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं

जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनैतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं।"

चुनाव अधिकारी के प्रयोग के लिए मतदाता के प्रयोग के लिए

"पर यदि, किसी भी दल का बहुमत न हो तो ?"

"ऐसे में समान विचारों वाले दल आपसी विचार विमर्श से अपना एक नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार 'मिली जुली सरकार' कहलाती है। ऐसा भी होता है कि जिस दल को मतदाताओं के सबसे कम मत मिलते हैं वह भी अन्य दलों से एक समझौते के तहत अपनी सरकार बना लेते हैं।"

सोचकर लिखिए -

यदि मिली-जुली सरकार में दल के नेताओं के आपसी विचार न मिलें तो क्या होगा ?

....

....

जल्दी-जल्दी चुनाव कराने के क्या परिणाम हो सकते हैं ?

....

....

....

"अच्छा काकी बताइए, इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी?" रामरतन ने उत्सुकतावश पूछा।

"हाँ भाई हाँ," काकी हँसते हुए बोलीं, "इन सारे दलों के चुने हुये प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित 'संसद' ;चंतसपंउमदज) नामक भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद, लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये प्रतिनिधि लोगों के विचारों से सरकार को, संसद के माध्यम से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है।"

”तो काकी हमारे गाँव के तालाब की सफाई करवाने के लिये क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा ?“

”अरे नहीं सोहन, इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है।“

लिखो- यदि तुम्हारे गाँव में जलभराव की समस्याएँ हों तो तुम किसके पास अपनी समस्या लेकर जाओगे ?..

”अच्छा! ...... तभी तो काकी, जब से तुम प्रधान बनी हो गाँव की तो काया ही पलट गई।“

”हाँ भाई, सही कहा तुमने“ सभी एक स्वर में बोले।

”पर काकी, अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो ?“ रहीम ने पूछा।

”भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जैसे- नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तम्भ है। राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषतया ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य, व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है।“

वैधता से बच निकलने के प्रयास को

अलोकतांत्रिक करार दिया जाना चाहिए

”तो काकी बताओ, क्या तुम्हारी तरह मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ ?“

”हाँ क्यों नहीं लड़ सकती हो ? यह तो सभी का अधिकार है चाहे स्त्री हो या पुरुष।“

”पर काकी यदि कोई हमें चुनाव लड़ने से रोके तो ?“

”रोकेगा क्यों ? यह तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है।

भारतीय संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया है। जिससे वह निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्ण न्याय दे सके। इसलिये सर्वोच्च न्यायपालिका को केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में से किसी एक के भी अधीन नहीं रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है।“

रामरतन ने तभी अचानक पूछा- अच्छा काकी, मीडिया या संचार माध्यम के बारे में अक्सर सुनते हैं। ये क्या हैं ? काकी बोलीं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल तुमने टेलीविजन पर देखा होगा भारत ने क्रिकेट मैच कितना अच्छा खेला। मैच जीतने पर गाँव वालों ने खुशी में पटाखे भी छुड़ाए थे। रामरतन ने कहा, हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा यही रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, बैनर एवं पोस्टर संचार-माध्यम या मीडिया हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं। ”एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिये जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं बल्कि शासन के काम की जाँच-पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान-प्रदान करने का साधन बनते हैं। वे शासन तक जनभावना पहुँचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं और यही लोकतंत्र का चौथा आधार स्तम्भ है।“

संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है परन्तु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता है। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा आन्दोलनों द्वारा कर सकती है, किन्तु ये आन्दोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा-बसों, रेलगाड़ियों को तोड़-फोड़ कर, आग लगाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुँचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं।

आप बताइए क्या यह उचित है ? अपने विचार लिखिए ....।

कुछ वर्ष पहले की बात है कि जमालपुर गाँव में घुरहू काका को कई महीने की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जाँच करने पर विभाग के लोगों को गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें। देखा, कैसे प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाए।

यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दुबारा नहीं चुनेगी। किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जन प्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है।

"अच्छा काकी! अब समझे, लोकतंत्र -लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिये - शासन है।"

"बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर मात्र लोकतंत्रीय ढाँचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिये यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो। वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा। वह अपने विवेक से उचित, अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है और तभी लोकतंत्र मज़बूत होगा।"

तुम बेवकूफ बना सकते हो सभी लोगों को, कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। - अब्राहम लिंकन

सर्वधर्म समभाव

लोकतंत्र की सफलता के लिये शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ-निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि-

- सभी व्यक्तियों को अपने-अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी।
- धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेद-भाव नहीं करेगा।
- राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा।

श्रीमान्, यह योजना तो कब से चली आ रही है पर कभी लागू नहीं की गयी। यह योजना प्रत्येक चुनाव में चुनावी वादे की तरह प्रयोग की जाती है।

सामाजिक समरसता व आर्थिक समानता

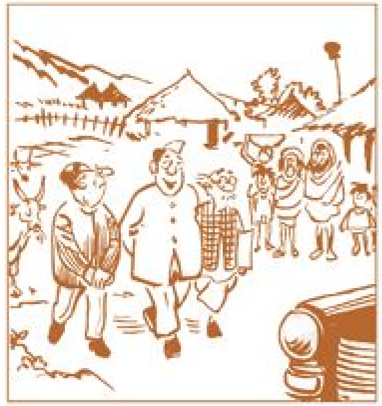

इन लोगों को समझ पाना बहुत कठिन है।

यहाँ पढ़ना-लिखना तो कोई जानता नहीं फिर भी स्कूल चाहते हैं!

लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक समानता का होना भी आवश्यक है। सामाजिक समता के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएँ विद्यमान रही हैं। धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेद-भाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। इसके कारण मानव और मानव के बीच दूरी बढ़ती गई जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। इस भेद-भाव को समाप्त करने के लिए सभी जातियों को समाज में समान अवसर व स्थान दिए जाने चाहिए।

श्रीमान्! इस व्यक्ति के विरुद्ध चोरी तथा

गैरकानूनी आरोप है लेकिन हमें इसे अपनी पार्टी

में शामिल करने से पहले इसकी और अच्छी जाँच कर लेनी चाहिए।

यदि देश में असमान आय वितरण होगा यानि कुछ लोग बहुत अमीर और ज्यादा लोग बहुत गरीब। तब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। लोग असंतुष्ट होकर शान्ति भी भंग कर सकते हैं।

लोकतंत्र का भविष्य: कुछ चुनौतियाँ

हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता है या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम हैं तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी व महँगा ढाँचा मात्र सिद्ध होता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतंात्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते हैं।

समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है।

शिव खेरा

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है ?

(ख) संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है ? इससे जनता को क्या लाभ होता है ? उदाहरण देकर समझाइए।

(ग) संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ?

(घ) राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अन्तर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं ?

(ङ) लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है ?

(च) राजनैतिक दलों के लिए चुनाव-चिह्न होना क्यों जरूरी है ? एक उदाहरण दीजिए।

(छ) चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(ज) सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए, ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा ?

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु .... है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे .... के अनुसार सजा मिलती है।

(ग) संविधान में भारत को .... देश घोषित किया गया है।

(घ) मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक .... मशीन का प्रयोग होता है।

(ङ) भारतीय संविधान मंे स्वत्रंत एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए .... आयोग की व्यवस्था है।

प्रोजेक्ट वर्क

*** अपने क्षेत्र से चुने हुए सांसद, विधायक तथा ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में निम्नवत् शीर्षक के अनुसार सूचनाएँ एकत्र कीजिए-**

***नाम ....* दल ....

*** चुनाव-चिह्न ....* प्रत्याशी जिसको पराजित किया ....**

सम्पादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें मतदाताओं से चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का अनुरोध हो और मतदान न करने से होने वाली हानियों का भी उल्लेख हो।

आप जितने भी राजनैतिक दलों के नाम जानते हैं उनके चुनाव चिह्न कॉपी पर बनाकर उसके नीचे उस दल का नाम लिखिए।

पाठ-2

E5HAFI

देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति

स्वतंत्रता के बाद देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था कि देश की सैन्य-शक्ति को मजबूत किया जाय। आजादी के तुरन्त बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। अतः सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने तथा सेना की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए। विश्व में हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के विकास के लिए मजबूर किया जिससे परम्परागत युद्ध प्रणाली के साथ-साथ युद्ध के नए तरीकों तथा सुरक्षा के प्रबन्ध किए गए। सेना के तीनों अंगों- थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया।

सैन्य संगठन

भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति (कमाण्डर) राष्ट्रपति है, किन्तु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमण्डल पर होता है। मंत्रिमण्डल की ओर से रक्षा सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता

है। रक्षामंत्री और रक्षा मंत्रालय इसके कार्य का संचालन करता है और सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी रखता है।

आपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर टेलीविज़न में सेना के तीनों अंगों यथा-जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना को मार्चपास्ट करते देखा होगा। आइए अपने देश की सेनाओं को जानें-

हमारी सेनाएँ (सभी का मुख्यालय दिल्ली)

भारतीय थल सेना पाँच कमानों में विभाजित है। पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केन्द्रीय कमान। थल सेना में कई प्रकार की सेनाएँ हैं जैसे- इन्फेन्ट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर, आर्मी शिक्षा कोर आदि।	भारतीय नौसेना को जल सेना भी कहते हैं, यह तीन कमानों में विभाजित है। पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत में दो बेड़े हैं- पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा।	भारतीय वायु सेना में इस समय चार कमानें हैं। पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रख - रखाव कमान।

इन्हें जानिए-

- थल सेनाध्यक्ष को जनरल कहते हैं।
- नौ-सेनाध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं।
- वायु सेनाध्यक्ष को एयरचीफ मार्शल कहते हैं।

इन सशस्त्र सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है महिलाओं को भी अल्प अवधि वाले सेना कमीशन में भर्ती किया जाता हैं। जिन शाखाओं में महिलाओं की भर्ती की जा सकती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

लड़ाकू जलपोत	**टैंक**	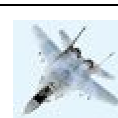 **लड़ाकू जहाज**

1. थलसेना की सिगनल्स, सेवा कोर, इंजीनियर्स शिक्षा कोर, आयुध कोर तथा गुप्तचर शाखा में।
2. नौसेना की सभी शाखाओं में।
3. वायु सेना की उड़ान, वैमानिकी, इंजीनियरी, शिक्षा प्रशासन, लेखा तथा मौसम विभाग में।

सेना में भर्ती होने के लिए पहले एक चयन परीक्षा ली जाती है। इसमें उत्तीर्ण होने पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें से नेशनल डिफेन्स अकादमी, इण्डियन मिलिट्री अकादमी, आफीसर्स टे[a]निंग अकादमी और नेशनल डिफेन्स कालेज मुख्य हैं।

अब्दुल कलाम

आधुनिक युग में नए-नए अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग होने लगा है। दूरगामी मिसाइलों तथा परमाणु बम के आविष्कारों से आक्रमणों का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। भारत ने भी परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है तथा अनेक प्रकार की मिसाइलें तैयार की हैं।

इनका उद्देश्य आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करना है। सुरक्षा सम्बन्धी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण तथा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण में डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम का योगदान उल्लेखनीय है।

डा0 अब्दुल कलाम कौन हैं ? वे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं ?

मिसाइल क्या होती है और उसका क्या कार्य है ?

आपके गाँव एवं नगर की सुरक्षा कौन करता है ? लिखिए..।

जिस प्रकार हम अपने गाँव एवं घर को सुरक्षित रखते हैं उसी प्रकार से देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठन तैयार किए गए हैं।

आइए समझें-सुरक्षा में सहायक अन्य संगठन

एन0सी0सी0 का एक दृश्य

सेनाओं के उपर्युक्त तीन अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल (ठवतकमत ैमबनतपजल थ्वतबम) नामक संगठन करता है। समुद्रतट की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक (ब्वंेज ळनंतके) संगठन कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज-बचाव के दलों का गठन करना मुख्य हैं। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना (ज्मततपजवतपंस ।तउल) है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर (एन. सी. सी.) है। इसमें बालकों के साथ-साथ बालिकाओं का भी डिवीज़न है। एन0सी0सी0 का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, स्नातक उपाधि कालेजों, महाविद्यालयों तथा अन्य स्कूल कालेजों में दिया जाता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

शान्तिकाल में सेनाओं तथा सहायक संगठनों की आवश्यकता उस समय भी पड़ती है जब देश पर किसी प्रकार का आन्तरिक संकट आता है।

गुजरात में भूकम्प, उड़ीसा में आई बाढ़ तथा अण्डमान एवं निकोबार में सुनामी के समय सैनिकों ने किस प्रकार सहायता पहुँचाई थी ? चर्चा करिए-

....

नागरिकों के कर्त्तव्य

हमारे सैनिक युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिये अपना बलिदान करने को सदा तत्पर रहते हैं। कितने ही सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएँ आज भी सराही जाती हैं।

अतः हम सभी लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार के उपाय करने चाहिए। युद्ध हमेशा नहीं होता है किन्तु उसका

खतरा तो बना ही रहता है। देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले तत्त्वों पर कड़ी निगाह रखने में नागरिकों का सहयोग परमावश्यक है। सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाता है।

भारत की विदेश नीति

किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवम् सहयोग का भाव रखना चाहता है इसके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय विश्व दो गुटों में बँट चुका था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी शक्ति बढ़ाने तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे।

गुटनिरपेक्षता

विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाया जाए। इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवम् स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई।

गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियाँ करेगा। वह स्वतंत्र एवम् निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा।

पंचशील

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं0जवाहर लाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवम् समानता के समर्थक थे इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में पाँच सिद्धान्त बनाए गए जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेशनीति के आधार हैं। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं-

- एक दूसरे की राज्य की सीमा एवम् उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए
- एक दूसरे के भू-भाग पर आक्रमण न किया जाए।
- एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए।
- समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए।

जहाँ हम एक दूसरे देश की एकता एवम् प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धान्त है कि

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से हो। हमारा संविधान भी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देशित करता है।

इसके अतिरिक्त भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है। जैसे- दक्षिण अफ्रीका, इण्डोनेशिया, मलाया, अल्जीरिया, अंगोला एवं बांग्लादेश।

निःशस्त्रीकरण की नीति

विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निःशस्त्रीकरण (शस्त्रों को कम करना) की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया है। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निःशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जनकल्याण के कार्यों में हो सकेगा।

भारत ने परमाणु परीक्षण क्यों किया ? चर्चा करिए-

भारत का संयुक्त राष्ट्रसंघ को सहयोग

भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भेजी थीं।

राष्ट्रकुल

भारत ने प्रायः समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवम् समान हैं। अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। वे अपने आंतरिक एवम् बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं।

दक्षेस (सार्क)

1985 में दक्षिण एशिया के सात देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) बना। इनका स्थायी कार्यालय काठमाण्डू में है। नवम्बर, 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला जिससे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या आठ हो गई है।

इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवम् वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना है।

आओ जानें दक्षेस के आठ देशों के ध्वजों को-

बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान

- शब्दावली

परमाणु परीक्षण - परमाणु शक्ति की जाँच के लिए किया जाने वाला प्रयोग परमाणु परीक्षण है।

निःशस्त्रीकरण - विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों का प्रचुर मात्रा में संग्रह न करना निःशस्त्रीकरण है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए।

(ख) विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया ?

(ग) पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धान्त कौन-कौन से हैं ?

(घ) कोरिया और कांगो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की ?

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन .... होती है।

(ख) समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए .... संगठन कार्य करता है।

(ग) भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर .... होता है।

(घ) शस्त्रों की होड़ से .... की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

3. निम्नलिखित कथनों जो सही हों उनके आगे (सही) का चिह्न लगाइए-

(क) भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय दिल्ली है। ( )

(ख) वायु सेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। ( )

(ग) महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। ( )

4. सोचिए और लिखिए-

(क) क्या आप बड़े होने पर सेना में भर्ती होना पसन्द करेंगे ? कारण बताइए।

(ख) आप वायु सेना, नौसेना और थल सेना में से किसमें भर्ती होना चाहेंगे ?

प्रोजेक्ट वर्क

थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना से संबंधित -प्रतीक चिह्न, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के नाम, आयुध उपकरणों के चित्र चार्ट पेपर पर लगाकर अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।

पाठ-3

E5R6H6

संयुक्त राष्ट्र संघ

संसार में छोटे-बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी-कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी-कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से, तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं किन्तु 20वीं शताब्दी में दो विश्वयुद्ध हुए हैं जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया है और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा।

पहला विश्वयुद्ध सन् 1914 में प्रारम्भ हुआ था जो सन् 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश थे- एक तरफ आस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्विया, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका।

शिक्षक की सहायता से संसार के मानचित्र में प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले देशों के नाम अंकित कीजिए।

इस विश्वयुद्ध में धन, जन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्वयुद्ध पहले विश्वयुद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त पाँच करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह बर्बाद हो गए।

द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से दो शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी नष्ट हो गए। पता करिए यह नगर किस देश में है ?

संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध न हों। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सेनफ्रान्सिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संघ के निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे जिसमें भारत भी शामिल था। वर्ष 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 राष्ट्र सदस्य हो गए। दक्षिण सूडान को 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई इसलिए उसके घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए-

- अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना।
- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देना।

- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाया जिसके छः अंग हैं-

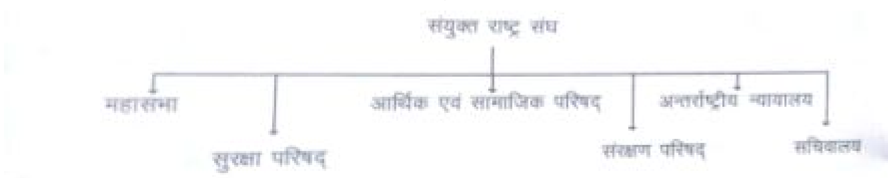

महासभा

संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक पाँच प्रतिनिधि भेज सकता है किन्तु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष एक वर्ष के लिए चुना जाता है।

यह भी जानें-
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को 'मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है

विजय लक्ष्मी पंडित

सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार-विमर्श करती है, अपनी सलाह देती है। विश्व की गम्भीर समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहाँ सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे सम्बन्धित जनसभाएँ तथा विचार गोष्ठियाँ आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं। जैसे- महिला वर्ष, बाल वर्ष, विकलांग वर्ष आदि।

अंग्रेजी चीनी स्पेनिश रूसी अरबी फ्रेंच

हमारे देश की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

महासभा में छः भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये भाषाएँ हैं-

सुरक्षा परिषद

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी दो राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। आवश्यकतानुसार सेना भी भेजती है। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया।

सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 राष्ट्र स्थायी सदस्य हैं।

स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं-

1. चीन, 2. फ्रांस, 3. रूस, 4. संयुक्त राज्य अमेरिका, 5. ग्रेटब्रिटेन

शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं।

हमारा देश अभी तक सुरक्षा परिषद् का सदस्य नहीं है। चर्चा कीजिए कि स्थायी सदस्य हो जाने पर भारत को क्या लाभ हो सकता है ?

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्

इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा, या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। इसीलिए 10 दिसम्बर 1948 में मानव अधिकार की घोषणा भी इसी परिषद् ने ही की।

संरक्षण परिषद

विश्व युद्ध के बाद ग्यारह ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस संरक्षण परिषद् का उद्देश्य ऐसे ग्यारह राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था जिसमें वह सफल भी हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैण्ड के 'हेग' नामक नगर में स्थित है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री श्री बी.एन.राउ, श्री नगेन्द्र सिंह, श्री आर0एस0 पाठक एवं श्री दलबीर भंडारी भी न्यायाधीश रह चुके हैं।

सचिवालय

ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है जिसे सुरक्षा परिषद् की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्थाएँ

संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य-राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशेष संस्थाएँ बनाई गई हैं जो अपने-अपने विषय से सम्बन्धित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से सम्बन्धित विशिष्ट एजेन्सियाँ महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

इन विशिष्ट एजेन्सियों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वशान्ति के लिए उपयुक्त विचार-भावना विकसित करना है। यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है।

यूनेस्को की उद्देशिका में कहा गया है, ''क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारम्भ होता है, अतः शान्ति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्यों के मस्तिष्क से ही प्रारम्भ होनी चाहिए।"

भारत को संयुक्त राष्ट्रसंघ से मिला सहयोग

- खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान के भूमि-क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है।

यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है।

- विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं। जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है।
- यूनीसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है।
- यूनीफेम महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका

- भारत का विश्वशांति की स्थापना में अटूट विश्वास है। भारतीय सेना ने कोरिया, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के कार्यों में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग दिया है।

> - इन्हें भी जानिए-
> - मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक हैं।
>
> भारत में वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) 20वीं सदी में .... विश्वयुद्ध हुए।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना .... में हुई थी।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में .... स्थाई सदस्य होते हैं।

(घ) महासभा की बैठक, वर्ष में .... बार अवश्य होती है।

(ड.) महासभा के सभापति का कार्यकाल .... वर्ष के लिए होता है।

(च) मानवाधिकार दिवस .... मनाया जाता है।

(छ) राष्ट्रकुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में .... हैं।

2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए।

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई ?

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए।

(ग) दक्षेस एवं आसियान के बारे में लिखिए।

3. निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए-

1. महासभा 2. सुरक्षा परिषद् 3. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

प्रोजेक्ट वर्क

* सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थाई सदस्य-राष्ट्रों के राष्ट्रध्वज बनाकर रंग भरिए और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के अवसर पर उन्हें प्रदर्शित कीजिए।

* दक्षेस का प्रतीक चिह्न बनाकर उसके सदस्य देशों के नाम और उस देश के झण्डे का चित्र एक चार्ट पेपर में बनाकर कक्षा में लगाइए।

पाठ-4

E612IT

नागरिक सुरक्षा

हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे गाँव में रहते हों अथवा नगर में। हमें समय-समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, भूकम्प, महामारी, दम घुटना के अतिरिक्त तथा दुर्घटनाएँ होना, जैसे- आग लगना, पानी में डूब जाना, करंट लगना इत्यादि के अलावा वाह्य आक्रमण आदि ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, जिनसे नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है।

(बच्चे कक्षा में बैठकर अपनी शिक्षिका से नागरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं)

विकास-दीदी! नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है ?

शिक्षिका-नागरिक सुरक्षा मूल रूप में नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान-माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। जिसमें नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं। जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएँ प्रदान करते हैं।

सरला-अपने देश में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई ?

शिक्षिका-भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात् सन् 1962 ई0 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई।

रफीक-नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है ?

रडार

शिक्षिका-हवाई आक्रमणों से जन-धन की हानि को कम करना, औद्योगिक/कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शान्तिकाल में अधिकारियों/स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे-पल्स पोलियो व महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना ही इस संगठन का उद्देश्य है।

दीपा-दीदी! क्या सरकारी कर्मचारी भी इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं ?

शिक्षिका-हाँ ! इस संगठन में उन सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से संगठन की सेवा करना चाहते हैं।

विकास-क्या नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व केवल नागरिक सुरक्षा संगठन का ही है ?

शिक्षिका-नहीं ! यह दायित्व भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, संस्था, स्थानीय संगठन, उद्योग एवं राजकीय तन्त्र का भी हैं। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही नागरिक सुरक्षा का दायित्व पूर्ण हो सकता है।

सरला-दीदी नागरिकों को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है ?

शिक्षिका-दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से।

सरला-इन हवाई हमलों से हमें क्या हानि होती है ?

शिक्षिका-दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से हमारी सम्पत्ति, मकान, उद्योग और जन-हानि होती है।

रफीक-हवाई हमले के समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ?

शिक्षिका-ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों से बचकर एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

दीपा-क्या हवाई हमले के समय हमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती है ?

शिक्षिका-जब दुश्मन विमान द्वारा हवाई हमला होता है, उस समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी रडार द्वारा प्राप्त होती है। तब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को सूचना दी जाती है।

विकास-यह सूचना सबके पास इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाती है ?

शिक्षिका-यह सूचना सबके पास मीडिया, ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से पहुँचाई जाती है।

सरला-हवाई हमले के समय कौन-सा संकेत दिया जाता है ?

शिक्षिका-हवाई हमले के समय दिन में लाल झण्डी और रात्रि में लाल बत्ती दिखाई जाती है तथा दो-दो मिनट पर ऊँची नीची आवाज में सायरन बजाया जाता है।

इन्हें भी जानें
सूचना संकेत किसके लिए कब
पीला रंग प्रशासन हमले की संभावना पर
सफेद रंग प्रशासन हमला टल जाने पर
लाल रंग क्षेत्रीय जनता (नागरिक)हमला प्रारम्भ होने पर
हरा रंग प्रशासन, नागरिकहमला समाप्त होने पर

रफीक-दीदी ! हवाई हमले से बचने का क्या उपाय है ?

शिक्षिका-हवाई हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ, ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएँ, कानों में रूई डाल लें तथा दाँतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लें।

दीपा-रात में हमले से बचने का क्या उपाय है ?

शिक्षिका-रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है।

विकास- ब्लैक आउट क्या हैं ?

शिक्षिका-दुश्मन देश को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ब्लैक आउट है। जैसे- समुद्र या नदियों के किनारे बल्ब आदि से प्रकाश करने पर दुश्मन वहाँ बस्ती समझकर बम गिरा सकते हैं जो पानी में निष्क्रिय हो जाएगा। इससे हम अपने धन-जन, मकान व उद्योग की रक्षा कर सकेंगे।

सरला-हवाई हमले के समय घायल नागरिकों का प्राथमिक उपचार कौन करता है ?

शिक्षिका-हवाई हमले के समय ही नहीं बल्कि अन्य आपदाओं के दौरान भी घायल नागरिकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सीय सेवा महत्वपूर्ण योगदान देता है।

रफीक-आग लगने पर उसे बुझाने के क्या उपाय हैं ?

शिक्षिका-ठोस पदार्थ (लकड़ी, कोयला आदि) में आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डीज़ल आदि) में आग लगने पर हवा से सम्पर्क हटा देना चाहिए। गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए, बिजली के सभी स्विच व उपकरण बन्द कर देना चाहिए, गैस के रेगुलेटर नॉब को बन्द कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे को खोल देना चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। शरीर में आग लगने पर कम्बल से शरीर को ढक देना चाहिए।

इन्हें भी जानें-

आग बुझाने के उपकरण

1.ड्राई पावडर अग्निशामक यन्त्र - यह बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है।

2.गैस टाइप अग्निशामक यन्त्र - इसमें गैसीय अवस्था में कार्बनडाईऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे- कागज, बही-खाता, कैश-बुक, करेन्सी नोट, कम्प्यूटर इत्यादि।

3.वाटर टाइप अग्निशामक यन्त्र - यह अग्निशामक यन्त्र पानी फेंकता है जिसमें ;ब्व्2द्ध पानी में घुली रहती है तथा कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है।

4.फोम टाइप अग्निशामक यन्त्र- पेट्रोल, तेल आदि द्रव पद्राथों मंे लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यन्त्र प्रयोग किया जाता है। ये झाग द्वारा आग की सतह को ढककर उसे तुरन्त बुझा देता है।

दीपा-दीदी ! दुर्घटना में हड्डी टूट जाने पर मरीज का कैसे प्राथमिक उपचार करना चाहिए ?

शिक्षिका-हड्डी टूट जाने पर तिकोनी पट्टी और खपच्ची (बाँस का छोटा टुकड़ा) का प्रयोग करके प्राथमिक उपचार करना चाहिए और तुरन्त नजदीक के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए।

विकास-दीदी ! दुर्घटना में रक्त-स्राव (खून बहना) रोकने के लिए क्या करना चाहिए ?

प्राथमिक उपचार में प्रयोग की जाने वाली सामग्री

शिक्षिका-घाव पर मेडिकेटेड रूई एवं पट्टी बाँधकर बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए। घाव वाले अंग को ऊपर की तरफ करने से रक्त बहना रुक जाता है।

रफीक-दम घुटने पर क्या उपाय करना चाहिए ?

शिक्षिका-दम घुटने पर रोगी के कपड़ों को ढीला करके उसके मुँह में अपने मुँह से कृत्रिम श्वास फूँकना चाहिए और तत्काल नजदीक के डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए।

इन्हें भी जानें-

1.बन्द कमरे में जलती हुई अँगीठी रखकर न सोएँ।

2.मच्छर काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे- मच्छर-अगरबत्ती, स्प्रे आदि से श्वास की बीमारी हो सकती है।

3.मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें।

4.कमरे में रूम-हीटर लगाकर न सोएँ।

शब्दावली

वार्डन-नागरिक-रक्षा के क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु होता है। वह अपने क्षेत्र से अधिक से अधिक स्वयं सेवकों को एकत्र करके उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी तथा मार्गदर्शन देता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं ?

(ख) हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैक आउट करना क्यों आवश्यक है ?

(ग) नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है ?

(घ) आग लगने पर किस तरह से बचाव करना चाहिए ?

(ङ) रसोई गैस से आग लगने पर बचाव के कौन-कौन से तरीके अपनाएंगे ?

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय..................... कार्य में सहयोग करता है।

(ख) हवाई हमला बन्द हो जाने पर .... रंग का प्रकाश दिखाया जाता है।

(ग) रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए .... किया जाता है।

(घ) पेट्रोल से लगी आग को .... यंत्र से बुझाया जाता है।

(ङ) गैस की आग बुझाने के लिए.. की बोरी प्रयोग करते हैं।

3. निम्न कथनों में जो सही हो उनके आगे (ü) का चिह्न और जो गलत हो उनके आगे (ग) का चिह्न लगाइए-

(क) हवाई हमले की सम्भावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है। ( )

(ख) दुर्घटना में रक्त स्राव होने पर कटे स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए। ( )

(ग) हवाई हमले के समय कानों में रूई लगा लेना चाहिए तथा दाँतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए। ( )

(घ) दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करना चाहिए। ( )

(ङ) युद्ध की सम्भावना टल जाने पर नीला प्रकाश संकेत दिया जाता है। ( )

(च) बिजली से लगी आग बुझाने के पहले मेन स्विच बन्द कर देना चाहिए। ( )

4. मिलान कीजिए-

लकड़ी द्रव्य

पेट्रोल ठोस

एल.पी.जी. धातु

मैग्नीशियम गैस

प्रोजेक्ट वर्क

आप अपने आस-पास के क्षेत्र में जा कर सूचना एकत्र करें कि क्या वहाँ कभी आग से दुर्घटना हुई ? यदि हाँ तो लोगों ने बचाव के लिए क्या उपाय किए ?

विद्यालय में आग लगने की घटना से बचने के लिए विद्यालय भवन के निर्माण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए ? यदि आप के विद्यालय में आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए क्या उपाय करेंगें ?

पाठ-5

EDZTCY

विकलांगता- कारण एवं बचाव

आपने अपने घर, गाँव तथा समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी का सहारा लेकर या दूसरों का हाथ पकड़कर चलते हैं, कम या बिल्कुल नहीं सुनते तथा मुँह से बोल नहीं पाते, पैरों से चल नहीं पाते हैं तथा हाथों से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सुनने, बोलने, देखने तथा चलने में कठिनाई महसूस होती है उन्हें विकलांग कहा जाता है। विकलांगता या अक्षमता की सामान्यतः चार श्रेणियाँ होती हैं-

1. श्रवण सम्बन्धी अक्षमता, 2. दृष्टि सम्बन्धी अक्षमता 3. अस्थि सम्बन्धी अक्षमता 4. मानसिक अक्षमता

लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये शारीरिक अक्षमताएँ लोगों में कैसे आ जाती है ? वास्तव में ये शारीरिक अक्षमताएँ चाहे दृष्टि सम्बन्धी हो या मानसिक या अस्थि सम्बन्धी (लकवा आदि) हों हमें मुख्यतः दो चरणों में प्राप्त होती हैं- 1. जन्मजात 2. जन्म के उपरान्त।

जन्मजात विकलांगता

जिन बच्चों को हम पहले विकलांग कहते थे उन्हें अब ''विशेष आवश्यकता वाले बच्चे'' कहते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान ही हैं केवल इनकी आवश्यकताएं ही दूसरे बच्चों से अलग हैं।

इन बच्चों को हमारी सहानुभूति या दया की कोई आवश्यकता नहीं। इन बच्चों को केवल हमारे सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है।

आपके साथ भी कुछ ''विशेष आवश्यकता वाले बच्चे'' पढ़ते होंगे। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का बुनियादी अधिकार है। आपको क्या लगता है, इन बच्चों को आपके साथ ही पढ़ना चाहिए या उनके लिए कोई अलग विद्यालय होना चाहिए ? चर्चा कीजिए।

जन्मजात विकलांगता का आशय गर्भस्थ शिशु में शारीरिक दोष आ जाना है। आपने सुना या देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्मान्ध, लकवाग्रस्त, मन्द बुद्धि या अन्य शारीरिक दोष के साथ जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे ही जन्मजात विकलांग की श्रेणी में आते हैं।

कारण एवं बचाव

जन्मजात विकलांगता के मुख्यतः कई कारण हैं-

कभी-कभी विकलांगता आनुवंशिक कारणों से होती है; परन्तु ऐसा कम ही होता है।

गर्भवती माता को उचित मात्रा में विटामिनयुक्त भोजन न मिलना तथा कुपोषण भी इसके कारण हैं। ऐसी स्थिति में संतुलित आहार तथा जरूरी विटामिन युक्त भोजन तथा उचित खाद्य पदार्थों द्वारा कम वजन, कमजोर दृष्टि तथा लकवा युक्त शिशु के जन्म की सम्भावना को कम किया जा सकता है।

गर्भवती माता को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जरूरी सावधानी रखनी चाहिए।

जन्म के बाद विकलांगता

हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मानसिक विकास उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है। ऐसे बच्चों में भी सीखने, समझने और करने की लगन होती है। हमें इन बच्चों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें इनसे स्नेह और सहयोग करना चाहिए।

जन्म के बाद विकलांगता की चार श्रेणियाँ हैं-

1.दृष्टि दोष (आँखों से कम या बिल्कुल न दिखाई देना)

2.श्रवण दोष (कानों से सुनाई न पड़ना)

3.मूक-बधिर (ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते वे प्रायः सुन भी नहीं पाते)

4.शारीरिक रूप से अक्षम (ऐसे लोग जो पाँव से चलने तथा हाथ से कार्य करने में असमर्थ हैं या कठिनाई महसूस करते हैं)

कारण एवं बचाव

देश में इस समय विकलांग लोगों की संख्या दो प्रतिशत है। विज्ञान की प्रगति, मानव के स्थान पर मशीनों, यंत्रों, औजारों के अधिक प्रयोग तथा उससे हुई दुर्घटनाओं ने जन्म के बाद की विकलांगता को अधिक बढ़ा दिया है। इनमें सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की तथा सबसे कम संख्या दृष्टिहीन व्यक्तियों की है। इस विकलांगता के मुख्य कारण हैं-

प्राकृतिक आपदाएँ- चक्रवात, भूस्खलन, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के द्वारा बहुत से लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं।

साम्प्रदायिक एवं आपसी झगड़ों के द्वारा भी समय-समय पर विकलांगों की संख्या में वृद्धि होती है। इन झगड़ों से किसी को हाथों, किसी को पैरों तथा किसी को दृष्टि में विकार पैदा हो जाता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भाई-चारे द्वारा इसमें कमी की जा सकती है।

यातायात के तेज साधनों के विकास से भी विकलांगता बढ़ी है। आए दिन सड़क एवं रेल दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में तमाम लोग शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं।

दो बूँद जिन्दगी की

सरकार द्वारा पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान सन् 1995 से चलाया जा रहा है। इसमें पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोकने की वैक्सीन की दो बूँदें पिलाई जाती हैं।

आप अपने घर के आस-पास के दस घरों में जाकर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची बनाएं। यह भी लिखें कि उन्हें पोलियो की दवा पिलाई गई है या नहीं। उन घरों में लोगों को दवा पिलाने के लिए प्रेरित करें।

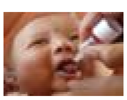

देश में स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित विस्तार न होने से समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए किसी का पैर तथा किसी का हाथ भी काटना पड़ता है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा त्वरित सेवा उपलब्ध कराकर उपचार के द्वारा इसका निदान किया जा सकता है।

अब स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसंधानों से ऐसे अनेक टीकों को खोज लिया गया है जिनको समय-समय पर बच्चों को लगवा कर पोलियो जैसी घातक बीमारी एवं अपंगता को रोका जा सकता है। इन स्वास्थ्य सम्बन्धी टीकों की जानकारी लोगों को देना अपंगता निवारण में महत्वपूर्ण सहयोग होगा।

युद्ध जनित विकलांगता- कभी-कभी युद्धों तथा आतंकवादी घटनाओं में भी लोगों को अपने हाथ-पाँव गँवाने पड़ते हैं।

यह यंत्रों तथा मशीनों का युग है। प्रत्येक कार्य में मशीनों तथा औजारों का प्रयोग बढ़ गया है। चाहे वे कल-कारखाने की मशीने हों या खेती आदि में प्रयोग आने वाली मशीनें हों। इनके सफल संचालन और प्रयोग न कर पाने से भी अपंगता में वृद्धि हो रही है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम देश के नागरिकों में ऐसी दक्षता तथा कुशलता पैदा करें जिससे वे सावधानी पूर्वक मशीनों का संचालन कर सकें और अपने को अपंग होने से बचा सकें।

यातायात सम्बन्धी असावधानी तथा सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी न होना भी दुर्घटनाओं का सब से बड़ा कारण है। प्रतिदिन वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं जिससे बहुत से लोग घायल और अपंग होते हैं। अतः इससे बचने के लिए सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी आवश्यक है। वाहन चलाने में नियमों का पालन तथा सावधानी ही दुर्घटनाओं से बचाव का प्रमुख उपाय है।

विकलांगता से बचाव हेतु हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए ?

हमारा दायित्व

अक्षम लोगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अब बदला है। उन्हें पहले एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था किन्तु अब ऐसा नहीं है। आज विकलांग लोगों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है और उन्होंने दूसरों को भी सहारा देना शुरू कर दिया है। इनमें यदि एक अक्षमता है तो अनेक क्षमताएँ भी हैं। ऐसा देखा गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। अतः हमारा यह दायित्व बनता है कि उनमें निहित क्षमताओं को पहचानकर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें।

जहाँ अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है वहीं इन व्यक्तियों में चेतना का संचार हुआ है। इनमें आत्मबल तथा उत्साह जगा है कि हम भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारा भी समाज और राष्ट्र के विकास

में महत्वपूर्ण योगदान है। सब के साथ सहभागिता ने उनमें उत्साह का संचार किया है। इसका कारण सरकारी सुविधाएँ, समान अवसर और सम्मान का मिलना तथा समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आना है।

समाज का दायित्व है कि अक्षम व्यक्तियों को सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर दिया जाए-

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने पर परस्पर अलगाव तथा दूरी कम होगी तथा एक दूसरे के पास आने की सम्भावना बढ़ेगी।

समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने तथा उनके योग्य रोजगार उपलब्ध कराने से समाज के अन्य सदस्यों की भाँति ये भी जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति कर सकेंगे।

इन्हें सम्मान देकर तथा इनके साथ अपनापन का व्यवहार करके हम उन्हें महसूस करा सकेंगे कि जिससे वे सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सकें। वे भी समाज के एक अंग हैं।

इनके प्रति भेद-भाव के विचार को निकालकर अनुकूल तथा सकारात्मक सोच उत्पन्न करने से वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और विकास पथ पर अग्रसर हो सकें।

घर, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि प्रत्येक स्तर पर उन्हें प्यार, लगाव, समानता तथा सम्मान दें। उनके साथ बातचीत करें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें तथा उनके साथ भी हम वही व्यवहार करें जो हम दूसरों से चाहते हैं। जब भी हमें महसूस हो कि ऐसे व्यक्ति को हम इस स्तर पर या स्थान पर सहयोग एवं सहायता कर सकते हैं हमें आगे आना चाहिए।

इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम थे किन्तु उन्होंने अपनी अक्षमता को कभी अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। स्टीफेन हाकिंग विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविद् हैं। इन्होंने ब्रह्माण्ड के गूढ़ रहस्यों जैसे- ब्लैक होल आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धान्त दिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे न तो बोल सकते हैं और न ही अपने किसी अंग को हिला-डुला सकते हैं।

सुधा चन्द्रन भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं अभिनेत्री हैं। इनके जीवन पर 'नाचे मयूरी' नामक एक फिल्म भी बनाई गई थी। दुर्घटना में अपना एक पैर गवाँ देने के बाद भी सुधा चन्द्रन ने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रहीं।

स्टेफेन हाकिंस	सुधा चंद्रन

दूसरों की सहायता करें-

यात्रा करते समय बड़े-बूढ़ों, महिलाओं, विकलांगों तथा बच्चों की मदद करें। उन्हें सुरक्षित रूप से खड़े होने के लिए स्थान दें तथा उनके लिए सीट भी खाली कर दें। इन्हें आप की दया नहीं सहयोग चाहिए।

इन्हें भी जानें

दीपावली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बच्चे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। साथ ही तेज आवाज वाले पटाखों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है इसलिए आप हमेशा अपने बड़ों की देखरेख में पटाखे छुड़ाएँ और तेज आवाज वाले पटाखे कभी न छुड़ाएँ।

इन पटाखों से हमारे पर्यावरण में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। आप अपनी अभ्यासपुस्तिका में लिखिए कि यह पटाखे पर्यावरण को किस प्रकार क्षति पहुँचाते हैं ? आप इसे कैसे रोकेंगे ?

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–
   (क) दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है ?
   (ख) दिव्यांगता के कारणों पर प्रकाश डालिए।
   (ग) दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए।
2. निम्नलिखित में सही (✓) तथा गलत (X) का निशान लगाइए–
   (क) स्टीफेन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितारवादक हैं। (
   (ख) दिव्यांगजनों के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। (
   (ग) सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। (

प्रोजेक्ट वर्क

- आप अपने घर के आस–पास के दस घरों में जाकर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची बनाएँ। यह लिखें कि उन्हें पोलियो की दवा पिलाई गई है या नहीं। उन घरों में लोगों को दवा पिलाने के लिए प्रेरित
- दिव्यांगजनों के प्रति सद्भावपूर्ण आचरण पर आधारित एक लघु कहानी लिखिए।

Table of Contents

Untitled-15